III नीतिगत परिवेश

वृद्धि को पुनरुज्जीवन और कोविड-19 के प्रभाव में कमी भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत कार्यसूची में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बन गए हैं। रिज़र्व बैंक ने तेजी से कार्रवाई करते हुए नीतिगत दरों में आक्रामक कटौतियां की, भारी मात्रा में प्रणाली–स्तर पर और लक्ष्यित चलनिधि डाली, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए समय-बद्ध समाधान और ऋणस्थगन किए। रिज़र्व बैंक की विनियामकीय परिधि में विधायी संशोधनों का बल जुड़ा जिससे रिज़र्व बैंक को सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के प्रबंधन व अभिशासन की गुणवत्ता को बेहतर करने हेतु और अधिक अधिकार मिले।

1. भूमिका

III.1 यह रिपोर्ट ऐसे परिवेश में जारी हो रही है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, रिज़र्व बैंक और बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली 100 वर्षों से भी अधिक की सबसे कठिन चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस अभूतपूर्व स्थिति में वृद्धि को पुनरुज्जीवन और कोविड-19 के प्रभाव में कमी भारतीय रिज़र्व बैंक के नीतिगत एजेंडे में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बन गए हैं। महामारी के प्रभाव पर कार्रवाई करते हुए रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दरों में आक्रमक कटौतियां की, भारी मात्रा में चलनिधि डाली-प्रणालीगत स्तर पर और दबावग्रस्त क्षेत्रों, संस्थानों व साधनों (इन्सट्रूमेंट्स) को लक्ष्यित भी, उधारकर्ताओं को अस्थायी राहत के रूप में ऋणस्थगन उपलब्ध कराए और आस्तियों की पुनर्रचना का समयबद्ध अवसर प्रदान किया। संयोग से, इस अवधि में रिज़र्व बैंक की विनियामकीय परिधि में विधायी संशोधन जोड़े गए जिससे रिज़र्व बैंक को सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर और अधिक अधिकार मिले।

III.2 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय खंड 2 में दिए मौद्रिक नीति व चलनिधि प्रबंधन उपायों के विवरण से प्रारंभ होता है। इसके बाद खंड 3 में समीक्षाधीन अवधि (2019-20 और 2020-21 अब तक) में वाणिज्यिक बैंकों की विनियामक नीतियों से संबंधित घटनाक्रम का विहगावलोकन है तथा इसके उपरांत खंड 4 और 5 में क्रमश: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) व लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) से जुड़े नीतिगत कदम आते हैं। वाणिज्यिक बैंकों संबंधी पर्यवेक्षी रणनीतियों का सारांश खंड 6 में है जिसके बाद सहकारी बैंकों (यूसीबी) और एनबीएफसी से जुड़ी नीतियां क्रमश: खंड 7 और 8 में हैं। ऋण देने व वित्तीय समावेश प्रयासों और विदेशी मुद्रा नीतियों के बारे में खंड 9 और 10 में बताया गया है। खंड 11 ग्राहक शिक्षण व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाई गई नीतियों की समीक्षा करता है और इसके बाद खंड 12 भुगतान व निपटान प्रणाली संबंधी नीतियों की। समग्र आकलन और भविष्य के परिप्रेक्ष्यों के साथ खंड 13 समापन करता है।

2. मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंधन

III.3 कोविड – 19 महामारी की चुनौतियों पर विचार करने के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने निर्धारित कार्यक्रम के अतिरिक्त मार्च और मई 2020 में बैठकें की और कुल 115 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती करते हुए रिपो रेट को 4 प्रतिशत के इसके न्यूनतम स्तर पर ले आए। इस प्रकार फरवरी 2019 से प्रारंभ हुए सुलभता चक्र में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत पॉलिसी रिपो रेट में कुल 250 अंकों की कटौती हुई। वित्तीय स्थितियों को सुलभ करने तथा अपने अतिरिक्त फंड अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों, निवेश व ऋण में लगाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए एलएएफ

के अंतर्गत रिवर्स रिपो रेट कुल 155 आधार अंक घटाकर 3.35 किया गया।

III.4 महामारी के प्रकोप के पहले, 2018-19 की पहली तिमाही में प्रारंभ हुई वृद्धि में चक्रीय सुस्ती को देखते हुए एमपीसी ने जून 2019 में अपने रुख़ को तटस्थ से निभावी कर दिया था। अप्रैल 2019 के बाद से लगातार चार बैठकों में एमपीसी ने नीतिगत दर घटाई। दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 की पाँचवी और छठी द्विमासिक बैठकों में समिति ने कोविड-19 के चलते हुए आपूर्ति व्यवधानों के कारण ऊँची चल रही मुद्रास्फीति को नोट किया और नीतिगत रिपो दर को अपरिवर्तित रखने पर वोट दिया।

III.5 बढ़े हुए और लगातार बने हुए कीमत दबाव एमपीसी के लिए अपनी अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 2020 की बैठकों में नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का कारण बने। तथापि, समिति ने यह नोट किया कि आर्थिक समुत्थान को समर्थन इसकी प्राथमिकता बना हुआ है। तदनुसार, इसके संकल्पों में और अधिक निभाव प्रतिबिंबित हुआ जिसे इसने कम से कम वित्तीय वर्ष 2020-21 में और अगले वर्ष बनाए रखने का निर्णय लिया ताकि आगे चलकर मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखते हुए संवृद्धि का पुनरुत्थान टिकाऊ हो और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का असर कम हो।

चलनिधि प्रबंधन

III.6 2019-20 में, मुद्रा की अधिक मांग के चलते बैंकिंग प्रणाली से जो चलनिधि निकली, प्राथमिक चलनिधि विस्तार ने उसकी पर्याप्त से अधिक भरपाई कर दी। अप्रैल और मई 2019 में जिस प्रणाली-स्तरीय चलनिधि का स्वरूप कमी वाला था, जून से अधिशेष (सरप्लस) में बदल गया और वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहा।

III.7 14-दिवसीय रिपो के अलावा एक दिन से 16 दिनों तक की परिपक्वता वाली परिवर्ती दर (वेरिएबल रेट) रिपो के माध्यम से ₹1.37 लाख करोड़ की चलनिधि डाली गई। वर्ष के दौरान एक दिन से 63 दिनों तक की परिपक्वता वाली रिवर्स रिपो के माध्यम से ₹284.4 लाख करोड़ की अतिरिक्त चलनिधि अवशोषित की गई। रिज़र्व बैंक ने खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ) के तहत प्रतिभूतियों के क्रय द्वारा भी ₹1.1 लाख करोड़ की टिकाऊ चलनिधि डाली। 14 फरवरी 2020 से एक नए चलनिधि प्रबंधन ढाँचे ने काम शुरू किया जिसने रिज़र्व बैंक के चलनिधि परिचालन को और परिष्कृत किया, तत्संबंधी उद्देश्यों को स्पष्टत: संप्रेषित किया और चलनिधि प्रबंधन के साधन समूह को व्यवस्थित किया ताकि पारदर्शिता बढ़े तथा बाजार की प्रत्याशाएं प्रभावित व स्थिर की जा सकें।

III.8 प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि डालने के लिए रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2019 में 3 वर्षों की अवधि के लिए यूएस $ 5 बिलियन (₹34,874 करोड़) का एक यूएसडी/आईएनआर क्रय/विक्रय स्वैप नीलामी (ऑक्शन) तथा मई 2019 में दो ओएमओ क्रय ऑक्शन किए जिनका मूल्य ₹25,000 करोड़ रहा। जून 2019 में रिज़र्व बैंक ने दो ओएमओ क्रय ऑक्शन किए जिनका मूल्य ₹27,500 करोड़ रहा।

III.9 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2019 में चार दीर्घतर अवधि के रिवर्स रिपो ऑक्शन – दो 21 दिनों के तथा 42 दिनों व 35 दिनों की अवधि के एक एक – संचालित कर अपने चलनिधि प्रबंधन साधनों में बढ़ोतरी की तथा ₹78,934 करोड़ अवशोषित किए। चार ऑपरेशन ट्विस्ट्स अर्थात् विशेष ओएमओ के तहत एक ही साथ प्रतिभूतियों के क्रय व विक्रय भी 23 दिसंबर 2019 और 23 जनवरी 2020 के बीच संचालित किए गए।

III.10 कोविड-19 की शुरुआत के समय, ति1:2020-21 में एलएफ रिवर्स रिपो के अंतर्गत अधिशेष चलनिधि का निवल औसत दैनिक अवशोषण ₹4.72 लाख करोड़ का रहा। चलनिधि निकालने वाले वृहत् मुद्रा विस्तार के बावजूद, कोविड-19 के बाद उठाए गए विभिन्न कदमों ने वित्तीय बाजार व संस्थाओं को सामान्य रूप से कार्यशील रखा, वित्तीय स्थितियां सुलभ व समर्थक रखीं तथा वित्तीय प्रणाली के विभिन्न हिस्सों में महामारी-जन्य चलनिधि दबाव को शान्त किया (परिशिष्ट III.1)।

III.11 ₹12.8 लाख करोड़ (2019-20 की नामिक (नॉमिनल) जीडीपी का 6.3 प्रतिशत) के इन चलनिधि-वर्धक उपायों का परिणाम यह हुआ कि वित्तीय बाजार उधार की लागत एक दशक के न्यूनतम पर पहुँची और द्वितीयक (सेकेंडरी) बाज़ार में 3-माह खजाना (ट्रेज़री) बिल, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर प्रतिफल पॉलिसी रेट के निचले दायरे के निकटतर ट्रेड हुए। इसके फलस्वरूप अप्रैल-अक्टूबर 2020 में ₹4.4 लाख करोड़ के रिकॉर्ड प्राथमिक बाजार निर्गम (इश्यूएंस) हुए जो कि गत वर्ष इसी अवधि में ₹3.5 लाख करोड़ के थे। ऑपरेशन ट्विस्ट और चलनिधि-वर्धक कार्रवाइयों के कारण चलनिधि प्रीमियम के क्षय से समान अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों के मुकाबले 3-वर्षीय एएए, एए+ और एए - (एए माइनस) रेटेड कॉरपोरेट बॉण्डों का स्प्रेड 26 मार्च 2020 से 27 नवंबर 2020 के बीच 200 बीपीएस से अधिक घट गया। 27 नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार, न्यूनतम निवेश ग्रेड कॉरपोरेट बॉण्डों (बीबीबी-) के लिए भी स्प्रेड 158 बीपीएस तक घट गए। इन लक्ष्यित नीतिगत उपायों ने एनबीएफसी के लिए मार्केट फ़ाइनैंसिंग स्थितियों के स्थिर होने में सहायता की है जैसा कि समान अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों के मुकाबले एएए रेटेड हेतु 3-वर्षीय एनबीएफसी बॉण्डों के लिए स्प्रेड 287 बीपीएस तक तथा ए+(ए प्लस) रेटेड बॉण्डों के लिए 112 बीपीएस संकुचित होने में दिखता है। म्युचूअल फ़ंडों के लिए विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) ने इस क्षेत्र को स्थिर होने में सहायता की और ऋण (डेट) एमएफ के अंतर्गत प्रबंधाधीन आस्तियां (एयूएम) 29 अप्रैल 2020 के 12.20 लाख करोड़ से सुधर कर व बेहतर होकर 30 नवंबर 2020 को ₹15.1लाख करोड़ पर पहुँचीं।

3. वाणिज्यिक बैंकों के लिए विनियामकीय नीतियां

III.12 मौद्रिक और चलनिधि उपायों को रिज़र्व बैंक ने विनियामकीय नीतियों से पूरा किया। ऋणस्थगन जैसे उपाय लॉकडाउन से प्रभावित कारोबार और गृहस्थों को राहत देने के लिए हैं। वहीं ऋणों की पुनर्संरचना की नपी-तुली पद्धति ने कारोबार को फिर से शुरुआत की ताकत दी और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास किया गया। फ़र्मों के और वैयक्तिक उधारकर्ताओं (इंडिविजूअल बारोअर्स) को भी नकद प्रवाह की संशोधित प्रत्याशाओं के आधार पर एक समाधान ढाँचे के माध्यम से ऋण को स्थायी तौर पर पुनर्गठित करने का एक विकल्प भी दिया गया था।

III.13 31 अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार, कोविड-19 महामारी से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए ऋणस्थगन का लाभ बकाया बैंक ऋणों के 40 प्रतिशत ग्राहकों ने उठाया है। अधिकांश क्षेत्रों ने ऋणस्थगन के तहत अप्रैल 2020[1] की तुलना में अगस्त 2020 में अपेक्षाकृत कम बकाया ऋण रिपोर्ट किए; तथापि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ने मामूली बढ़ोतरी दर्ज की और स्थगन का लाभ उठाने वाले एमएसएमई ग्राहकों की संख्या बढ़कर अगस्त 2020 में 78 प्रतिशत हो गई जो इस क्षेत्र में दबाव को दर्शाता है। एमएसएमई के ऋणों में मांगे गए ऋणस्थगन के वितरण से संकेत मिलता है कि प्रारंभिक दबाव का ज्यादा भार शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर पड़ा, इसके बाद पीएसबी और एनबीएफसी का स्थान आता है। वैयक्तिक ऋणों में बकाया हेतु स्थगन के मामले में, एसएफबी का हिस्सा उच्चतम है जिसके बाद यूसीबी और एनबीएफसी आते हैं। पीएसबी के कुल ग्राहकों में से लगभग दो-तिहाई और पीवीबी के कुल ग्राहकों में से आधे ने अप्रैल 2020 में भुगतान स्थगित करने के विकल्प का प्रयोग किया। 31 अगस्त 2020 तक यह उलट गया और अन्य श्रेणियों के उधारदाताओं की तुलना में स्थगन के अंतर्गत पीवीबी के ग्राहकों का बेस अधिक बड़ा हो गया, मुख्यत: इसलिए कि इस सुविधा का लाभ उठाने वाले उनके एमएसएमई ग्राहकों में चार गुना वृद्धि हो गई तथा पीएसबी के मामले में सभी वर्गों (प्रमुखत: व्यक्ति) के ग्राहकों की बड़ी संख्या ने ऋण-स्थगन से बाहर निकलने का विकल्प चुना। (सारणी III.1)

3.1 दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकसम्मत ढाँचा

III.14 दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई), जमाराशि स्वीकार

[1] (वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अंक सं. 21, जुलाई 2020, सारणी 1.4, https://www.rbi.org.in पर उपलब्ध)

सारणी III.1: ऋणस्थगन

(31अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार लिए गए)

क्षेत्र	कॉरपोरेट		एमएसएमई		वैयक्तिक		अन्य		कुल	
	कुल ग्राहकों का %	कुल बकाया का %	कुल ग्राहकों का %	कुल बकाया का %	कुल ग्राहकों का %	कुल बकाया का %	कुल ग्राहकों का %	कुल बकाया का %	कुल ग्राहकों का %	कुल बकाया का %
पीएसबी*	24.96	36.70	64.11	75.42	36.28	34.51	30.58	39.08	34.80	41.33
पीवीबी*	16.37	23.19	83.38	62.99	50.25	33.60	47.90	54.00	54.88	33.96
एफबी*	27.46	14.81	52.89	47.38	8.66	27.81	9.03	9.28	9.05	20.53
एसएफबी*	36.94	34.13	80.29	66.90	81.48	69.39	86.34	80.90	82.47	68.18
यूसीबी*	43.13	90.15	47.08	89.60	47.50	57.64	32.81	46.93	43.45	64.09
एनबीएफसी*	42.65	37.15	68.76	67.01	23.11	56.51	50.21	33.20	26.58	44.94
एससीबी	18.02	30.44	77.19	68.07	43.65	33.89	35.62	39.11	43.75	37.91
प्रणाली	31.31	34.28	77.50	69.29	42.62	41.00	45.40	42.12	45.62	40.43

नोट: *पीएसबी का कुल डेटा=12, पीवीबी=21, एफबी=42, यूसीबी=39, एसएफबी= 10, और एनबीएफसी=73
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां

नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और जमाराशि स्वीकारने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) हेतु 7 जून 2019 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान का विवेकसम्मत ढाँचा जारी किया गया। विवेकसम्मत ढाँचे में दबाव ग्रस्त आस्तियों की जल्द पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही समाधान योजनाओं (आरपी) के कार्यान्वयन में देर के लिए अतिरिक्त प्रावधानी करण की व्यवस्था करके हतोत्साहित भी किया गया है। दिवाला आवेदन (इन्सॉल्वेंसी एप्लिकेशन) दाखिल करने पर आधे अतिरिक्त प्रावधानों के विपर्यय और आईबीसी की दिवाला समाधान (इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन) प्रक्रिया में उधारकर्ता को शामिल किए जानेपर शेष आधे अतिरिक्त प्रावधानों के विपर्यय की अनुमति देकर यह ढांचा आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीईआरपी) हेतु आवेदन के लिए प्रोत्साहित भी करता है। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए विवेकसम्मत ढाँचे के अंतर्गत उधारदाताओं को एक अवसर (विंडो) दिया गया था ताकि, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, वे स्वामित्व में बदलाव के बिना पात्र कॉर्पोरेट एक्सपोज़रों और निजी ऋणों के संबंध में एक समाधान योजना लागू कर सकें (बॉक्स III.1)।

3.2 जोखिम भार में परिवर्तन

III.15 निजी (पर्सनल) ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों सहित, लेकिन शिक्षा ऋणों को छोड़कर, उपभोक्ता ऋण पर पहले 125 प्रतिशत या अधिक का जोखिम भार था। 12 सितंबर 2019 से इसे घटाकर 100 प्रतिशत किया गया पर यह राहत क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों पर लागू नहीं है।

III.16 वर्तमान में बैंकों के विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो में शामिल एक्स्पोज़रों पर 75 प्रतिशत का जोखिम भार है जो कि एक प्रतिपक्षकार में अधिकतम ₹5 करोड़ के एक्सपोज़र सहित मानदंडों के अधीन है। किसी प्रतिपक्षकार में समग्र खुदरा एक्सपोज़र के लिए 5 करोड़ की सीमा को 12 अक्तूबर 2020 की स्थिति के अनुसार सभी नए एवं पात्रता पूरी करने वाले वृद्धिशील एक्सपोज़रों के लिए भी बढ़ाकर 7.5 करोड़ कर दिया गया है ताकि इस वर्ग के लिए ऋण की लागत कम हो और बासल दिशा-निर्देशों से सामंजस्य स्थापित हो।

III.17 एक प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में, 16 अक्टूबर 2020 को वैयक्तिक आवास ऋण को युक्तिसंगत किया गया, ऋण राशि चाहे जो हो। अब से 31 मार्च 2022 तक मंजूर किए जाने वाले सभी नए आवास ऋणों पर 80 प्रतिशत या इससे कम के ऋण-

बॉक्स: III.1: कोविड – 19 से जुड़े दबाव का समाधान

कोविड-19 से जुड़े दबाव के लिए समाधान अवसर (रिसॉल्यूशन विंडो) उन उधारकर्ताओं के लिए लागू है जो महामारी के प्रकोप के कारण वित्तीय परेशानी में पड़ गए हैं अन्यथा अपने संतोषजनक प्रदर्शन कर रहे थे। अत: समाधान की पात्रता उन ऋण खातों के रूप में निर्धारित है जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 1 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार जो 30 दिनों से अधिक समय तक चूक (डिफ़ॉल्ट) में नहीं थे ताकि यह सुनिश्चित हो कि समाधान का लाभ केवल उन उधारकर्ताओं को मिले जो कोविड-19 के कारणवास्तव में विपत्ति में हों। समाधान ढाँचे के प्रारंभ तक उधारकर्ताओं का मानक के रूप में वर्गीकरण जारी रखा जाए। वित्तीय सेवा प्रदाताओं, केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारी निकायों को दिए गए ऋण इस ढाँचे में कवर नहीं किए गए हैं। चूँकि वैसे एमएसएमई, जिनमें बैंकों व एनबीएफसी का ₹25 करोड़ तक का एक्सपोज़र है, के समाधान संबंधी दूसरा ढांचा पहले से ही कार्य कर रहा है, उन्हें भी इस ढाँचे से बाहर रखा गया है।

रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : श्री के वी कामत) ने पाँच वित्तीय मानक सुझाए यथा कुल बाहरी देयता / समायोजित मूर्त निवल मूल्य; कुल ऋण / ईबीआईटीडीए; वर्तमान अनुपात (करेंट रेशियो); ऋण चुकौती कवरेज अनुपात (डीएससीआर); और औसत ऋण चुकौती कवरेज अनुपात (एडीएससीआर) जिनको समाधान ढाँचे[1] के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली समाधान योजनाओं में निहित अवधारणाओं के रूप में शामिल किया जाना है। विशेषज्ञ समिति ने बकाया और महामारी के प्रभाव की तीव्रता के आधार पर चिह्नित बिजली, लोहा और इस्पात, निर्माण और अचल संपत्ति (रीयल इस्टेट) सहित 26 क्षेत्रों के संबंध में इन अनुपातों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट न्यूनतम या अधिकतम सीमा भी बताई है। जहाँ निर्दिष्ट सीमाएंनिर्धारित नहीं है उन क्षेत्रों के लिए, उधार देने वाली संस्थाओं को शोधन-क्षमता के बारे में अपना आंतरिक आकलन करना होता है। तथापि, सभी मामलों में वर्तमान अनुपात (करेंट रेशियो) व डीएससीआर तथा एडीएससीआर 1.2 व अधिक होगा।

समाधान प्रक्रिया

समाधान ढाँचा प्रक्रिया के प्रारंभ के लिए उधारदाताओं को दिसंबर 2020 के अंत तक का समय दिया गया है। समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद आरपी को लागू करने के लिए उधारदाताओं के पास वैयक्तिक (पर्सनल) ऋणों के मामले में 90 दिनों का और अन्य ऋणों में 180 दिनों का समय है।

पर्सनल ऋणों के मामले में, आरपी द्वारा भुगतान अवधि के पुनर्निधारण या स्थगन की मंजूरी, अधिकतम 2 वर्षों तक, जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। कई उधारदाताओं वाले कॉरपोरेट ऋणों के लिए, यदि मूल्य के अनुसार कुल बकाया ऋणों के 75 प्रतिशत और संख्या के अनुसार 60 प्रतिशत उधारदाता समाधान प्रक्रिया इन्वोक करने को तैयार हों तो समाधान प्रक्रिया प्रारंभ (इन्वोक्ड) मानी जाएगी। एक बार सहमत हो जाने पर, प्रक्रियारंभ (इनवोकेशन) के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सभी ऋणदाताओं को एक अंतर लेनदार करार (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना होता है। आरपी में निम्नलिखित में से कोई भी कार्रवाई शामिल हो सकती है, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं होगी, यथा- अन्य इकाइयों को एक्सपोज़र की बिक्री; स्वामित्व में परिवर्तन और पुनर्संरचना; भुगतान स्थगन के साथ या उसके बिना, सुविधा की अवशिष्ट अवधि का अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार; ऋण के एक हिस्से का इक्विटी या अन्य विक्रेय, अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों में परिवर्तन; और उधारकर्ता को अतिरिक्त ऋण की मंजूरी। आरपी को कार्यान्वित माने जाने के लिए अपेक्षाएं भी स्पष्टत: विनिर्दिष्ट की गई हैं।

आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

इन्वोकेशन की अवधि और आरपी के कार्यान्वयन के बीच जो खाते एनपीए हुए होंगे उनको आरपी के कार्यान्वयन पर मानक (स्टैंडर्ड) के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है। यदि उधारकर्ता को अंतरिम अतिरिक्त ऋण मंजूर किया जाता है तो इसे आरपी लागू होने तक मानक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आरपी के लागू होने के बाद, उधारदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि पुनर्निधारित (रिनेगोशिएटेड) ऋण एक्सपोज़र या आईआरएसी मानकों की अपेक्षानुसार, जो भी उच्चतर हो उसके कम से कम 10 प्रतिशत का प्रावधान रखें। कॉरपोरेट एक्सपोज़र्स के मामले में, जो लेनदार आईसीए में शामिल नहीं है, उसे अपनी बही पर चालू ऋण (कैरिंग डेट) के कम से कम 20 प्रतिशत या आईआरएसी मानकों के अनुसार, जो भी उच्चतर हो, का प्रावधान करना होगा। निजी ऋणों व अन्य एक्सपोज़र दोनों के लिए आधे प्रावधान उधारकर्ता पर तब प्रतिलेखित (रिटेन बैक) किए जाने होंगे जब एनपीए में गए बिना वह अवशिष्ट ऋण का कम से कम 20 प्रतिशत भुगतान कर रहा हो और शेष आधा उधारकर्ता पर तब प्रतिलेखित किया जाए जब, बाद में एनपीए में गए बिना अवशिष्ट ऋण का और 10 प्रतिशत भुगतान करे।

निगरानी अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा किसी भी आईसीए हस्ताक्षरकर्ता के प्रति डिफ़ॉल्ट 30 दिनों की समीक्षा अवधि का कारण बनेगा। यदि उधारकर्ता 30-दिवसीय समीक्षा अवधि के अंत में चूक (डिफ़ॉल्ट) में रहता है, तो गैर-आईसीए हस्ताक्षरकर्ताओं सहित सभी उधारदाताओं के लिए इसका आस्ति वर्गीकरण एनपीए में डाउनग्रेड हो जाएगा।

वैसे आरपी के लिए एक स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन की आवश्यकता होती है जिसमें सभी उधारदाताओं द्वारा समग्र एक्सपोज़र ₹100 करोड़ और उससे अधिक का हो। अपेक्षित प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए, प्रक्रियारंभ (इन्वोकेशन) के दिनांक पर जिन उधारकर्ताओं के प्रति उधारदाताओं का समग्र एक्सपोज़र ₹1500 करोड़ से अधिक हो, उनके मामले में किसी भी आरपी का विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक है। जहाँ आरपी लागू किया गया हो, वहाँ उधारदाता अपने वित्तीय लेखा विवरण में आवश्यक खुलासा करें।

---

[1] समाधान ढाँचे के परिशिष्ट के भाग बी के अंतर्गत पात्र उधारकर्ता

मूल्य अनुपात (एलटीवी रेशियो) के लिए जोखिम भार 35 प्रतिशत और 80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत के बराबर या उससे कम ऋण- मूल्य अनुपात (एलटीवी रेशियो) के लिए जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा।

3.3 वृहत् एक्सपोज़र ढांचा(एलईएफ)

III.18 03 जून 2019 को जारी वृहत एक्सपोजर से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देशों द्वारा बैंकों को यह विकल्प दिया गया कि उस एक्सपोज़र के अनुसार जिस पर पूंजी पर्याप्तता हेतु जोखिम भार का उपयोग किया जाता है, या तो ऋण जोख़िम न्यूनीकरण (सीआरएम) साधन प्रदाता को या मूल प्रतिपक्षकार पर एक्सपोज़र को मान्यता दें। 23 मार्च 2020 को रिज़र्व बैंक ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि मूल प्रतिपक्षकार भारत के बाहर का निवासी हो तब भी, एक्सपोज़र को सीआरएम प्रदाता से मूल प्रतिपक्षकार की ओर शिफ्ट किया जा सकता है यदि एक्सपोज़र/ जोख़िम भार को शिफ्ट करने जैसे सीआरएम लाभ बैंक द्वारा व्युत्पन्न न हों। भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति की ओर शिफ्ट किए गए एक्सपोज़रों पर न्यूनतम 150 प्रतिशत का जोखिम भार आएगा। अकेन्द्रीकृत रूप से समाशोधित (एनसीसीडी) डेरिवेटिव एलईएफ की परिधि से 1 अप्रैल 2021 तक बाहर रखे गए हैं।

3.4 दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौणऋण

III.19 दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण देने के लिए दबावग्रस्त आस्ति कोष योजना (डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड स्कीम) के अंतर्गत भारत सरकार ने घोषणा की कि बैंक प्रवर्तक योगदान का 15 प्रतिशत या ₹75 लाख़, जो भी कम हो, प्रवर्तकों को नए ऋण के तौर पर देंगे जो इक्विटी/ इक्विटी सदृश (क्वैसी) के रूप में डाला जाएगा। योजना में गौणऋण सुविधा का 90 प्रतिशत गारंटी कवरेज सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) से और शेष 10 प्रतिशत गारंटी प्रमोटरों की ओर से होने की बात कही गई है। गारंटी कवर अबाधित (अनकैप्ड), बिना शर्त और अपरिवर्तनीय होगा। 01 जुलाई 2020 को रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण के माध्यम से प्रमोटरों द्वारा अपनी एमएसएमई इकाइयों में लगाए गए धन को ऋण- इक्विटी की गणना के लिए प्रमोटरों से इक्विटी / इक्विटीसदृश (क्वैसी) के रूप में लेने की अनुमति बैंकों को दी।

3.5 ब्याज में अंतर के लिए अनुग्रह भुगतान की योजना

III.20 23 अक्टूबर 2020 को सरकार ने 1मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के लिए निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं के लिए छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की एक योजना घोषित की। 26 अक्टूबर 2020 को रिज़र्व बैंक ने उधार देने वाली समस्त संस्थाओं को निर्धारित समय में योजना के प्रावधानों का पालन करने को कहा।

3.6 वीडियो-आधारित केवाईसी को सक्षम बनाना

III.21 ग्राहकों को डिजिटल ढंग से जोड़ने (ऑन-बोर्डिंग) और ग्राहक सुविधा को बेहतर करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 9 जनवरी, 2020 को व्यक्तियों के लिएवीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) प्रारंभ की है। आधार प्रमाणीकरण / ऑफ़लाइन सत्यापन और अनिवार्य पैन आवश्यकता के प्रयोग से ग्राहकों को दूर से जोड़ने (ऑन-बोर्डिंग) की इस प्रक्रिया से जुड़े जोखिम के कम होने की उम्मीद है। साथ ही, ग्राहकों के तात्कालिक अवस्थान सूचना (लाइव लोकेशन कैप्चरिंग) से यह सुनिश्चित होगा कि ग्राहक शारीरिक रूप से भारत में मौजूद है।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरआरबी)

III.22 एनपीए के बढ़ते स्तर के कारण आरआरबी पूंजी पर्याप्तता के मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जबकि उनकी चलनिधि की स्थिति भी कमजोर हुई है। 2019-20 में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आरआरबी की पुनर्पूँजीकरण योजना को 2020-21 तक जारी रखने का अनुमोदन उन आरआरबी के लिए दिया है जो न्यूनतम 9 प्रतिशत का जोख़िम भारित आस्तियों की तुलना में न्यूनतम पूँजी अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखने में असमर्थ हैं। पुनर्पूंजीकरण के भारत सरकार के अंश की ₹670 करोड़ की राशि (अर्थात् ₹1340 करोड़ के कुल पुनर्पूंजीकरण समर्थन का 50 प्रतिशत) स्वीकृत कर दी गई है।

4.1 चलनिधि प्रबंधन नीतियां

III.23 भारतीय रिज़र्व बैंक की एलएएफ़ और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) आरआरबी को सशर्त उपलब्ध कराई गई है। अधिक सक्षम चलनिधि प्रबंधन के लिए 4 दिसंबर 2020 से उन्हें मांग/सूचना (नोटिस)/मीयादी (टर्म)मुद्रा बाजारों (मनी मार्केट) में भाग लेने की अनुमति दी गई। आरआरबी को चलनिधि सुविधाएं कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर होंगी यथा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का कार्यान्वयन और 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने पर।

4.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा प्राधिकार नीतियां

III.24 रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2019 को आरआरबी के लिए बैंकिंग आउटलेट (बीओ) की अवधारणा प्रस्तुत की। बीओ एक नियत-स्थल सेवा प्रदाता इकाई है, जो या तो बैंक के किसी कर्मचारी या उसके कारोबारी प्रतिनिधि द्वारा संचालित की जाती है, और जहाँ जमाराशियां लेने, चेकों के नकदीकरण/नकदी की निकासी या पैसे उधार देने जैसी सेवाएं सप्ताह में कम से कम पाँच दिन तथा न्यूनतम चार घंटे प्रतिदिन प्रदान की जाती हैं। टीयर 1 से 4 केंद्रों (जनगणना 2011 के अनुसार) में पारपंरिक/ भौतिक शाखाएं (ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांचेज़) खोलने के लिए आरआरबी को रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। टीयर 5 और 6 केंद्रों में आरआरबी को कार्योत्तर रिपोर्टिंग पर बीओ खोलने की सामान्य अनुमति है। इसके अलावा, उन्हें हर साल नए बीओ का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलना होगा।

4.3 स्थायी /बेमीयादी कर्ज लिखतों (पीडीआई) के माध्यम से पूँजी जुटाना

III.25 1 नवंबर, 2019 को आरआरबी को टीयर 1 पूँजी के रूप में शामिल करने हेतु पात्र पीडीआई जारी करने की अनुमति दी गई थी। इन बैंकों के लिए यह विनियामकीय पूँजी बढ़ाने के एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में काम करेगा।

4.4 पेंशन देयताओं का परिशोधन (एमॉरटाइजेशन)

III.26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन योजना 2018 के कार्यान्वयन के बाद, रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2019 में आरआरबी को हर वर्ष आकलित पेंशन देयता के न्यूनतम 20 प्रतिशत की शर्त के अधीन 2018-19 से पाँच वर्षों की अवधि में अपनी कुल पेंशन देयता के परिशोधन की अनुमति दी।

4.5 मर्चेंट अधिग्रहण कारोबार (एक्वायरिंग बिजनेस) पर दिशानिर्देश

III.27 इस दृष्टि से कि आरआरबी अपने ग्राहकों को किफायती और उपयोग सुगम समाधान (सॉल्यूशंस) दे सकें, 6 फरवरी 2020 से उनको डिजिटल बैंकिंग द्वारा आधार पे-भीम ऐप और पीओएस टर्मिनल का उपयोग कर मर्चेन्ट अधिग्रहणकर्ता (एक्वायरिंग) बैंकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई, जो इस शर्त के अधीन थी कि एप्लीकेशन विकसित करने और ग्राहकों की शिकायत निवारण व्यवस्थाओं के लायक उनके पास पर्याप्त आईटी सिस्टम और आधारभूत संरचना हो।

5. लघु वित्त बैंक

III.28 एसएफबी के गठन का प्राथमिक उद्देश्य उच्च तकनीक-कम लागत पर कार्य द्वारा जनसंख्या के मुख्यत: सेवा-रहित और कम-सेवा-प्राप्त वर्गों के लिए बचत के माध्यम की व्यवस्था करके वित्तीय समावेश को बढ़ाना है। इन विशिष्ट बैंकों की पहुँच का विस्तार करने के लिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान कई कदम उठाए।

5.1 'मांग पर' ('ऑन-टैप') लाइसेंसिंग के लिए दिशा-निर्देश

III.29 5 दिसंबर 2019 को रिज़र्व बैंक ने ₹200 करोड़ की न्यूनतम निवल मालियत वाले एसएफबी की 'मांग पर' ('ऑन-टैप') लाइसेंसिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। जो प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक स्वेच्छा से एसएफबी में बदलना चाहते हैं उनके लिए प्राथमिक आवश्यकता ₹100 करोड़ निर्धारित की गई है जिसे व्यवसाय शुरू करने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर बढ़ाकर ₹ 200 करोड़ करना होगा। एसएफबी को अनुसूचित बैंक का दर्जा तुरंत दिया जाएगा और जब से वे कार्य करना शुरू करेंगे उनको बैंकिंग आउटलेट खोलने की सामान्य अनुमति होगी। कार्य करना प्रारंभ करने के पाँच वर्षों के बाद सभी पात्र भुगतान बैंक(पीबी) एसएफ़बी में रूपांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

5.2 शाखा विस्तार नीति का सामंजस्य

III.30 . एसएफबी के वार्षिक शाखा विस्तार योजनाओं संबंधी 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रारंभिक पाँच वर्षों के लिए

रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। 28 मार्च 2020 को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता हटा दी गई। अब 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित एसएफबी को भी बैंकिंग आउटलेट खोलने की सामान्य अनुमति है, इस शर्त के अधीन कि उनके कम से कम 25 प्रतिशत बैंकिंग आउटलेट बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों में हों।

5.3 जोखिम साझा न करने वाली वित्तीय सेवा गतिविधियां

III.31 28 मार्च 2020 को वर्तमान सभी एसएफबी को कारोबार प्रारंभ करने के तीन वर्ष बाद, जोखिम *साझा न (नहीं शेयर)* करने वाली उन सरल वित्तीय सेवा गतिविधियों के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से छूट दे दी गई जिसके लिए अपनी/ स्वाधिकृत निधियों (ओन फंड्स) की प्रतिबद्धता की आवश्यकता न हो।

6. पर्यवेक्षी नीतियां

III.32 रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी नीतियों का ज़ोर बैंकों में कमजोरियों के मूल कारणों (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कमजोर अनुपालन संस्कृति, जोखिम की क्षमता और व्यावसायिक कार्यनीति में विसंगतियां, आंतरिक आश्वासन कार्यों में कमी) की पहचान करने और उनके शमन के लिए उपयुक्त उपाय करने पर रहा है ।वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) इन प्रयासों का मार्गदर्शक बल है । वर्ष (जुलाई 2019-नवंबर 2020) के दौरान आयोजित 13 बैठकों में अन्य बातों के साथ, पूर्णकालिक निदेशकों / मुख्य कार्यकारी अधिकारियों / महत्त्वपूर्ण जोखिम लेने वालों और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ आदि के पारिश्रमिक संबंधी दिशा निदेश; बैंकों द्वारा चालू खाता खोलने के निर्देशों की समीक्षा, और कोविड-19 व्यवधानों के कारण रिजर्व बैंक द्वारा निर्बाध तरीके से बैंकिंग परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के उपाय जैसे प्रमुख मुद्दों पर बोर्ड ने विचार-विमर्श किया ।कई पर्यवेक्षी नीतिगत उपाय भी शुरू किए गए जो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित थे । (बॉक्स III.2).

बॉक्स III.2: रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को मजबूती देना

2018 के मध्य से कुछ संस्था-संबंधी प्रतिकूल घटनाओं के कारण वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता के बारे में कुछ प्रश्न उठे हैं। इन घटनाओं से सबक लेते हुए, रिज़र्व बैंक ने एससीबी, यूसीबी और एनबीएफसी पर भी अपने पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए मोटे तौर पर निम्नलिखित उपायों की शुरुआत की:

जोखिम और कमजोरियों की शीघ्र पहचान

रिज़र्व बैंक ने कमजोरियों की शीघ्र पहचान के लिए एक प्रणाली विकसित की है ताकि समय पर और अग्रसक्रिय कार्रवाई की जा सकें। अपनी ऑनसाइट पर्यवेक्षी टीमों को अधिक पैनी और व्यापक सामग्री देने के लिए तिमाही ऑफ-साइट विवरणियों (रिटर्न्स) में यह अत्याधुनिक डेटा विश्लेषण का प्रयोग करता रहा है । एक पूर्व चेतावनी फ्रेमवर्क - जो समष्टि आर्थिक चर, और बाजार और बैंकिंग संकेतकों को ट्रैक करता है-विश्लेषण के लिए पूरक का कार्य करता है। बैंक-वार के साथ-साथ प्रणाली व्यापी पर्यवेक्षी दबाव परीक्षण से कमजोर क्षेत्रों की पहचान में एक भविष्योन्मुखी आयाम जुड़ता है।

कमजोरियों के मूल कारण का विश्लेषण

प्रभावी अभिशासन किसी वित्तीय संस्था में कमजोरियों और धोखाधड़ी से बचने की कुंजी है। इसलिए, रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण का जोर अब, लक्षणों से निपटने के बजाय कमजोरियों के मूल कारणों पर अधिक है। पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) में अभिशासन मानक, उनके कारोबारी मॉडल की मजबूती, तथा जोखिम प्रबंधन, अनुपालन व आंतरिक लेखा परीक्षा जैसे उनके आंतरिक आश्वासन कार्यों के प्रभाव के आकलन के लिए संरचित फ्रेमवर्क शुरू किया जा रहा है। वर्तमान और उभरते जोखिमों को प्रारंभिक चरण में ही पहचान कर यह एसई के आंतरिक बचाव को मजबूत करेगा और उपचारात्मक उपायों को शुरू करने में उनकी मदद करेगा।

शीघ्र, प्रभावी और सुसंगत पर्यवेक्षी कार्रवाई के लिए फ्रेमवर्क

बीसीबीएस की सिफारिशों[1] के अनुरूप, पर्यवेक्षी आकलन फ्रेमवर्क के पूरक के तौर पर एक क्रमिक हस्तक्षेप ढाँचा है जिसका उद्देश्य ऐसे शीघ्र और प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करना है जो सभी एसई से सुसंगत हो। यह महत्वपूर्ण

[1] बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (मार्च 2018), शीघ्र पर्यवेक्षी हस्तक्षेप ढाँचे www.bis.org पर उपलब्ध

(जारी)

क्षेत्रों में (जैसे अभिशासन, जोखिम क्षुधा, जोखिम और वित्तीय प्रबंधन और जहां उपयुक्त हो,रणनीति) एसई की गतिविधि को प्रभावित करने में मदद करेगा, ताकि अपनी सुरक्षा और सुदृढ़ता को बढ़ाने के साथ-साथ वे समग्र वित्तीय स्थिरता में भी योगदान दे सकें।

सुसंगत और समेकित पर्यवेक्षण

एसई की गतिविधियों / आकार के आधार पर पर्यवेक्षी पद्धति में समंजन के उद्देश्य से एससीबी, यूसीबी और एनबीएफसी से संबंधित पर्यवेक्षी कार्य अब एकीकृत कर दिए गए हैं। जारी किए गए निर्देशों में उत्तरोत्तर सामंजस्य के लिए भी उचित ग्रेडिंग के साथ, कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि पर्यवेक्षी अंतरपणन कम हो। एससीबी की तरह, सतत निगरानी के लिए अन्य सभी एसई में वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों (एसएसएम) की नियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा एसएसएम के माध्यम से, समूह / संगुट से संबंधित संस्थाओं के पर्यवेक्षण का बिंदु एक हो जाता है, जिससे किसी भी संभावित पर्यवेक्षी अंतरपणन में कमी प्रत्याशित है।

केवाईसी / एएमएल जोखिम के लिए विशेष संरचना

विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के लिए बीसीबीएस के सिद्धांतों और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की अपेक्षाओं के अनुरूप, केवाईसी / एएमएल जोखिम पर केंद्रित एक जोखिम आधारित पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क बनाया गया है।

सुप टेक का लाभ

विनियमन (रेग टेक) और पर्यवेक्षण (सुप टेक) के लिए फिनटेक रूपी नवोन्मेषी तकनीकों को अपनाया जा रहा है। एकीकृत अनुपालन प्रबंधन और ट्रैकिंग प्रणाली (आईसीएमटीएस) और केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) दो प्रमुख सुप टेक प्रयास हैं जो क्रमशः एसई तथा रिज़र्व बैंक के बीच निर्बाध रिपोर्टिंग तथा डेटा प्रबंधन व डेटा विश्लेषिकी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

साइबर सुरक्षा प्रत्यास्थता को मजबूत करना

जून 2019 से सभी एससीबी के लिए प्रमुख साइबर जोखिम संकेतक शुरू किए गए थे। यूसीबी के लिए श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण पर एक व्यापक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क और सभी एसई के लिए तृतीय पक्ष के एटीएम स्विच प्रदाताओं के लिए दिसंबर 2019 में साइबर सुरक्षा नियंत्रण पर निर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा, अगस्त 2018 में बोर्ड के सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधन और सीएक्सओ के लिए साइबर सुरक्षा पर एक प्रमाणन / जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य किया गया था, जिसमें अब तक 2,500 से अधिक बैंक अधिकारियों ने भाग लिया है।

विषयगत अध्ययनों द्वारा चिंता के क्षेत्रों का नियमित गहन विश्लेषण

अग्रसक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप के लिए शीर्ष प्रबंधन को इनपुट देने के लिए अप्रतिभूत (अनसिक्योर्ड) खुदरा ऋण, उड्डयन क्षेत्र, ऋण मूल्य निर्धारण, पीवीबी का सीडी अनुपात और देयताओं का स्वरूप, डिजिटल ऋणदाताओं के कारोबारी तौर-तरीके, बैंकों की आय का घटक विश्लेषण, नीतिगत दरों का संचरण और शुद्ध ब्याज मार्जिन जैसे कई विषयगत अध्ययन किए गए।

अन्य कदमों में रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी स्टाफ के क्षमता विकास और कौशलीकरण के लिए पर्यवेक्षकों के एक कॉलेज की स्थापना है।

सुधार किए जाने के बावजूद, यह माना जाता है कि पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क का विकास एक सतत प्रक्रिया है, तथा रिज़र्व बैंक एसई की प्रत्यास्थता में सुधार के लिए पर्यवेक्षी दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को लगातार आगे बढ़ाने और परिष्कृत करने का प्रयास करेगा।

6.1 पीएसबी का विलय

III.33 बड़े पैमाने की किफायतों और समन्वित ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए विजया बैंक और देना बैंक का 1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय कर दिया गया था ।1 अप्रैल 2020 से 10 पीएसबी को मिलाकर 4 संस्थाएं बनाई गईं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय से देश के सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बनाया गया है । सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक का विलय कर चौथा सबसे बड़ा पीएसबी बना । आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करते हुए देश का पांचवां सबसे बड़ा पीएसबी बनाया गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है ।

6.2 त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क

III.34 केंद्र सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान बैंकों में पूंजी डालने से पांच पीएसबी पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकल गए । इसके अतिरिक्त, उस अवधि के दौरान पीसीए के तहत निजी क्षेत्र के एकमात्र बैंक, धनलक्ष्मी बैंक को भी सामान्य कारोबारी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी । रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2019 में खराब ऋणों के उच्च स्तर, पर्याप्त पूंजी की कमी और आस्तियों पर ऋणात्मक रिटर्न [2] के कारण लक्ष्मी विलास बैंक के लिए पीसीए की शुरुआत की । वर्तमान में, पीसीए फ्रेमवर्क के तहत 3 पीएसबी [3] और 1 पीवीबी [4] हैं ।

[2] लक्ष्मी विकास बैंक को 27 नवंबर 2020 को डीबीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेडके साथ समामेलित किया गया।
[3] इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक
[4] आईडीबीआई बैंक

6.3 यस बैंक का पुनर्गठन

III.35 5 मार्च, 2020 को केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के आवेदन के आधार पर यस बैंक को अधिस्थगन के अंतर्गत रखा । 6 मार्च 2020 को रिज़र्व बैंक ने जनता की राय के लिए अपनी वेबसाइट पर 'यस बैंक लिमिटेड पुनर्गठन योजना, 2020' का मसौदा जारी किया । 13 मार्च 2020 को केंद्र सरकार द्वारा योजना की मंजूरी और अधिसूचना के बाद 18 मार्च 2020 से अधिस्थगन हटा लिया गया । समाधान योजना में एक विशिष्ट प्रकार की सार्वजनिक-निजी भागीदारी थी, जिसमें वे प्रमुख वित्तीय संस्थाएं शामिल थीं जिन्होंने यस बैंक में पूँजी लगाई थी । योजना के कार्यान्वयन के बाद से, बैंक की वित्तीय स्थिति और अन्य मानकों में सुधार हुआ है ।

6.4 लक्ष्मी विलास बैंक का समामेलन

III.36 रिजर्व बैंक ने 17 नवंबर, 2020 को लक्ष्मी विलास बैंक पर एक माह की अवधि के अधिस्थगन आदेश के साथ-साथ डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के समामेलन की योजना के प्रारूप की घोषणा की । केंद्र सरकार द्वारा 'द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (अमलगैमेशन विद डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड) स्कीम, 2020' की मंजूरी के बाद, 27 नवंबर 2020 को समामेलन प्रभावी हो गया, जिसमें अधिस्थगन आदेश हटने के साथ लक्ष्मी विलास बैंक की सभी शाखाएं डीबीएस बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करने लगीं ।

6.5 पर्यवेक्षी कार्य का एकीकरण

III.37 रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2019 से अपने बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस), सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) और गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) का पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) में विलय करके पर्यवेक्षी कार्य एकीकृत किए हैं । वित्तीय समूहों का अधिक प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण स्थापित करने के साथ-साथ इस समग्र दृष्टिकोण से अपेक्षित है कि यह आकार और अंतर-संबद्धता की बढ़ती जटिलताओं, पर्यवेक्षी अंतरपणन तथा सूचना वैषम्य से संभावित प्रणालीगत जोखिम को दूर करेगा । पर्यवेक्षी पद्धति को और बेहतर बनाया जा रहा है जिससे कि बैंकिंग प्रणाली में कमजोरियों के मूल कारणों पर ध्यान जाए जैसे कि अभिशासन के मुद्दे, प्रक्रियाएं और उपेष्टतम जोखिम और अनुपालन-संस्कृति ।

7. सहकारी बैंकिंग

III.38 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । सहकारी बैंकों में प्रबंधन और अभिशासन की गुणवत्ता में सुधार करने और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने हेतु अधिक प्रभावी विनियमन और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक को विनियामकीय अधिकार दिए गए जो कि एक ऐतिहासिक घटना है । रिज़र्व बैंक यूसीबी क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और यूसीबी के लिए रिपोर्टिंग मानकों में उन्नयन के साथ-साथ कॉर्पोरेट अभिशासन के मानकों में सुधार के कदमों की शुरुआत कर रहा है ।

7.1 बैंकिंग रेग्यूलेशन (बीआर) ऐक्ट, 1949 में संशोधन

III.39 26 जून 2020 को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 में बीआर ऐक्ट, 1949 में संशोधन के द्वारा रिज़र्व बैंक के विनियामकीय दायरे में सहकारी बैंकों के कामकाज के अतिरिक्त क्षेत्रों को लाया गया । प्रमुख प्रावधान, सहकारी बैंकों के अभिशासन और प्रबंधन, सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसएएस) की नियुक्ति या निष्कासन के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन, गैर-बैंकिंग आस्तियों के निपटान के लिए समय, पूंजी जुटाने के लिए अतिरिक्त माध्यम प्रदान करना, स्वैच्छिक / अनिवार्य समामेलन, रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्गठन और समापन की योजना तैयार करने जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं । यह अधिनियम प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटियों सहित कुछ क्रेडिट सोसाइटियों पर लागू नहीं है ।अध्यादेश का स्थान लेने वाले बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 को 29 सितंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया

गया था, और संशोधित अधिनियम के सभी प्रावधान 29 जून 2020 से यूसीबी पर लागू हो गए हैं [बॉक्स V.1]।

7.2 निदेशक मंडल से संबंधित दिशानिर्देश

III.40 मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क के अंतर्गत, यूसीबी का निदेशक मंडल कार्यकारी और पर्यवेक्षी दोनों तरह की भूमिकाएं निभाता है जिसमें एक सहकारी सोसाइटी के साथ-साथ एक बैंक के रूप में यूसीबी के कामकाज की देखरेख करने की जिम्मेदारी होती है। 31 दिसंबर 2019 को ₹100 करोड़ और उससे अधिक जमाराशि के यूसीबी (सभी वेतन भोगियों के बैंकों को छोड़कर) को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (बीओएम) का गठन करने को कहा गया जिसके सदस्य एक या अधिक क्षेत्रों जैसे लेखांकन, बैंकिंग, वित्त और सहकार आदि में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखते हों। बीओएम यूसीबी के पेशेवर प्रबंधन और बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान देने में सहायक होगा और इस प्रकार, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा।

7.3 यूसीबी के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क (एसएएफ) की समीक्षा

III.41 आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता और पूंजी की स्थिति के संबंध में निर्दिष्ट सीमा (ट्रिगर) के उल्लंघन पर प्रारंभिक चरण में ही बैंकों द्वारा स्वयं सुधारात्मक कार्रवाई और / या रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू करने हेतु रिज़र्व बैंक ने 6 जनवरी 2020 को यूसीबी के लिए एसएएफ पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों का प्रयोजन है कि कमजोर परंतु व्यवहार्य यूसीबी में सुधार और अव्यवहार्य यूसीबी के समाधान पर शीघ्र कार्रवाई हेतु एसएएफ को अधिक प्रभावी बनाया जाए।

7.4 बड़े एक्सपोजर की सीआरआईएलसी को रिपोर्टिंग

III.42 एससीबी, एसएफबी, अखिल भारतीय वित्त संस्थाएं (एआईएफआई), एनबीएफसी-एनडी-एसआई, एनबीएफसी-डी और फैक्टरिंग सर्विसेज (एनबीएफसी-फैक्टर्स) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ₹5 करोड़ और उससे अधिक के क्रेडिट एक्सपोजर को सेंट्रल रिपोजेटरी ऑफ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) में रिपोर्ट करना आवश्यक था। इसके अलावा, 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही से ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति वाली यूसीबी को सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाया गया।

7.5 विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा

III.43 13 मार्च 2020 को एकल उधारकर्ता / पार्टी और जुडे हुए समूह उधारकर्ताओं / पार्टियों के लिए यूसीबी की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा उनकी टियर-I की पूंजीगत नीधि के विद्यमान 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से कम करके क्रमशः 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत कर दी गई थी। यूसीबी को अपने विद्यमान एक्सपोजर उपर्युक्त संशोधित सीमा तक धीरे-धीरे कम करने के लिए 31 मार्च 2023 तक का उपयुक्त मार्ग निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक यूसीबी के ऋण पोर्टफोलियो के 50 प्रतिशत ऋणों में, प्रति उधारकर्ता या पार्टी को अधिकतम ₹1 करोड़ की शर्त के अधीन, ₹25 लाख तक के ऋण या टीयर-I पूंजी के 0.2 प्रतिशत तक के ऋण,जो भी अधिक हो, होने चाहिएं।

8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

III.44 वर्ष 2018 की दूसरी छमाही में, जब से आईएल एंड एफएस संबंधी समस्याएं सामने आई, एनबीएफसी क्षेत्र चलनिधि दबाव और जोखिम विमुखता से संघर्ष कर रहा है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा किए गए उपाय ने इस दबाव वाली घटना के प्रणाली स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने में मदद की है, ऋण वृद्धि अभी भी कमजोर है। वर्ष 2019-20 में और 2020-21 अब तक, रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र को पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराने के लिए नपी-तुली विनियामकीय कार्रवाइयां जारी रखी हैं।

8.1 एनबीएफसी / एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना

III.45 भारत सरकार ने ₹ 30,000 करोड़ की विशेष चलनिधि योजना (एसएलएस) की घोषणा की जिसके अंतर्गत एनबीएफसी/ एचएफसी द्वारा जारी 90 दिनों तक की अवशिष्ट परिपक्वता की निवेश ग्रेड सीपी / अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) को विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) खरीदेगा ताकि उन्हें चलनिधि

सहायता दी जा सके। 1 जुलाई, 2020 को रिज़र्व बैंक ने इस योजना के तहत एनबीएफसी / एचएफसी के लिए पात्रता मानदंड और अन्य परिचालनगत विवरण विनिर्दिष्ट किए, जिन्हें इस बिक्री आगम का उपयोग केवल मौजूदा देयताओं को समाप्त करने के लिए ही करना है। यह सुविधा 30 सितंबर, 2020 को या इससे पहले जारी किए गए किसी भी पेपर के लिए उपलब्ध है, तथापि एसपीवी के लिए आवश्यक है कि वह सभी बकाया राशियों की वसूली 31 दिसंबर, 2020 तक कर ले ।

8.2 कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा

III.46 सीआईसी संबंधी विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढाँचे की समीक्षा हेतु कार्य दल (डब्लूजी) (अध्यक्ष : श्री तपन रे) की सिफारिशों और हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर 13 अगस्त 2020 को सीआईसी संबंधी दिशानिर्देशों का संशोधन किया गया। संशोधन के अंतर्गत, किसी भी एक सीआईसी का दूसरे सीआईसी में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निवेशक सीआईसी की स्वाधिकृत निधियों (ओन्ड फ़ंड) के 10 प्रतिशत से अधिक पूंजी अंशदान को समायोजित निवल मालियत की गणना करते समय घटाया जाना है। समूह संरचनाओं में जटिलता के समाधान के लिए समूह में सीआईसी को दो स्तरों तक सीमित किया गया है। मूल सीआईसी को समूह में एक समूह जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करना होता है, जिसे जोखिम प्रबंधन का कार्य सौंपा जाएगा। सीआईसी जिनकी आस्तियां ₹ 5,000 करोड़ से अधिक की हैं, उनको एक मुख्य जोखिम अधिकारी (चीफ़ रिस्क ऑफिसर) नियुक्त करना होगा जिसके उत्तरदायित्व स्पष्टत: रूप से विनिर्दिष्ट हों। कंपनी अभिशासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) संबंधी अपेक्षाओं और वित्तीय विवरणों का समेकन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाए जिससे अभिशासन और प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) के उच्च मानक प्राप्त किए जा सकें।

8.3 एचएफसी संबंधी विनियामकीय ढाँचे की समीक्षा

III.47 नए ढाँचे (फ्रेमवर्क) में अविघटनकारी तरीके से जाने के उद्देश्य से, एचएफसी पर लागू मौजूदा विनियामकीय फ्रेमवर्क की व्यापक समीक्षा की गई। 22 अक्टूबर, 2020 को रिज़र्व बैंक ने एचएफसी के लिए एक संशोधित विनियामकीय ढाँचा जारी किया, जिसने मुख्य व्यवसाय और आवास वित्त को परिभाषित किया है और एचएफसी के लिए स्वाधिकृत निधि की आवश्यकता बढ़ाकर ₹ 20 करोड़ कर दी। चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, एलसीआर, इंड-एएस के कार्यान्वयन, प्रतिभूतीकरण लेनदेन, आउटसोर्सिंग दिशानिदेश, शेयरों पर उधार देने और स्वर्ण आभूषणों पर ऋण से संबंधित एनबीएफसी पर लागू नियम एचएफसी पर भी लागू की गई। इसके अतिरिक्त स्थावर संपदा कारोबार (रीयल इस्टेट) में लगी समूह कंपनियों को ऋण देने संबधी नियम; तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम ,1934 की धारा 45-आईबी और 45 आईसी के अतिरिक्त 45 आईए के प्रावधानों से एचएफसी को छूट देने संबंधी विनियमावली जारी की गई।

8.4 एनबीएफसी का समाधान

III.48 रिज़र्व बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन के उपरांत को चूककर्ता या दिवालिया एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के समाधान हेतु अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त सरकार ने नवंबर 2019 में दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियाँ तथा न्याय निर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम अधिसूचित किए। इन नियमों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को ₹ 500 करोड़ से अधिक की कुल आस्ति वाली एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के लिए जो चूक (डिफॉल्ट) में है आईबीसी के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) प्रारंभ करने हेतु आवेदन करने का अधिकार दिया है।

8.5 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी)

III.49 रिज़र्व बैंक द्वारा 16 जुलाई 2020 को एआरसी के लिए एफपीसी पर दिशानिदेश जारी किए गए जिनका उद्देश्य था कि वे हितधारकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाएं । न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षाओं के साथ ये दिशानिदेश एआरसी के बोर्डों को अपना स्कोप और कवरेज बढ़ाने की स्वतंत्रता भी देते हैं। वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण और प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री

दोनों में भेदभाव रहित प्रथाएं, एआरसी द्वारा लिए जाने वाले शुल्क और प्रभार को युक्तिसंगत बनाना, और उधारकर्ता सूचना की गोपनीयता एफपीसी के कुछ अन्य उद्देश्य हैं। इसके तहत शिकायत निवारण, गतिविधियों की आउटसोर्सिंग और एआरसी द्वारा वसूली एजेंटों के प्रयोग से संबंधित मामले भी कवर किए गए हैं।

8.6 एनबीएफसी और एआरसी के लिए भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) का कार्यान्वयन

III.50 इंड-एएस के कार्यान्वयन को उच्च गुणवत्ता वाला और सुसंगत बनाने के लिए और साथ ही, तुलनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 13 मार्च 2020 को इंड-एएस को लागू करने वाली एनबीएफसी और एआरसी को अनुदेश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में अभिशासन ढांचा, प्रत्याशित ऋण हानि (क्रेडिट लॉस) के लिए विवेकपूर्ण सीमा जिसमें क्षति (इम्पेयरमेंट) रिज़र्व तथा विनियामकीय पूंजी और विनियामकीय अनुपातों की गणना के सिद्धांत शामिल हैं।

8.7 डिजिटल ऋण प्लैटफॉर्मों पर दिए गए ऋणों के संबंध में उचित व्यवहार संहिता और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन

III.51 सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) को डिजिटल ऋण प्लैटफॉर्मों पर दिए गए ऋणों के संबंध में उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा गया, चाहे वे उनकी अपनी या किसी आउटसोर्सिंग वाली व्यवस्था के तहत हों। उधार देने वाले संस्थाओं के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह अनिवार्य बनाया गया कि वे अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे डिजिटल ऋण प्लैटफॉर्मों के नाम अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें, डिजिटल ऋण प्लैटफॉर्मों को इस आशय का निदेश दें कि वे उधारकर्ताओं को उधारदाता के नाम की जानकारी पहले से दें, उधारकर्ताओं को ऋण मंजूरी पत्र अपने लेटर हेड पर दें, उधारकर्ताओं को करार की एक प्रति उपलब्ध कराएं और शिकायत निवारण प्रणाली के विषय में जागरूकता फैलाने की दिशा में कदम उठाएं तथा डिजिटल ऋण प्लैटफॉर्मों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें।

8.8 सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एनबीएफसी वित्तीय संस्थाओं के रूप में एनबीएफसी

III.52 पहले, ₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्तियों वाली एनबीएफसी को ही सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वित्तीय संस्था माना जाता था और इन्हें ₹100 लाख या उससे अधिक के प्रतिभूत ऋणों पर सरफेसी अधिनियम के तहत प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की सुविधा प्राप्त थी। 24 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए ₹100 करोड़ और उससे अधिक आस्ति वाली एनबीएफसी को सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वित्तीय संस्था का दर्जा दे दिया। अब पात्र एनबीएफसी ₹50 लाख और उससे अधिक के प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन हेतु सरफेसी अधिनियम का सहारा ले सकते हैं।

9. विदेशी मुद्रा विनिमय नीतियां

III.53 रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़ी नीतियों का उद्देश्य कारोबार करने में आसानी के साथ लेन-देनों को आसान करके व उनके दायरे को बढ़ाकर बाह्य व्यापार को सुगम बनाना है। 2019-20 और 2020-21 के दौरान अब तक बाह्य व्यापार और भुगतानों को सुगम बनाने के लिए विनियमों को युक्तिसंगत बनाने हेतु और भी उपाय किए गए।

9.1 ईसीबी के अंतिम उपयोग प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना

III.54 30 जुलाई 2019 को बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित अंतिम उपयोग प्रतिबंधों में कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों और रुपया ऋणों की चुकौती के लिए राहत प्रदान की गई। पात्र उधारकर्ताओं को कार्यशील पूंजीगत प्रयोजनों, सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों और पूंजीगत व्यय से इतर प्रयोजनों हेतु घरेलू रूप से लिए गए रुपये ऋणों की चुकौती के लिए 10 वर्ष और पूंजीगत व्यय के लिए घरेलू रूप से लिए गए रुपया ऋणों की चुकौती के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि (एमएएमपी) के साथ ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई। इन प्रयोजनों हेतु आगे उधार देने के लिए एनबीएफसी को उधार लेने की अनुमति भी दी गई। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ समुद्रपारीय अनुषंगी कंपनियों को छोड़कर उपर्युक्त ईसीबी सभी मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से जुटाई जा सकती है।

III.55 विनिर्माण तथा आधारभूत संरचना (इनफ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र में पूंजीगत व्यय के लिए घरेलू रूप से लिए गए रुपया ऋणों, जिन्हें एसएमए-2 अथवा अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की चुकौती के लिए उधारदाताओं से किसी भी एकबारगी निपटान के अंतर्गत ईसीबी ली जा सकती हैं। ऋणदाता

बैंकों को समनुदेशन के माध्यम से ऐसे ऋण भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ समुद्रपारीय अनुषंगी कंपनियों को छोड़कर पात्र ईसीबी ऋणदाताओं को बेचने की भी अनुमति है बशर्ते परिणामी बाह्य वाणिज्यिक उधार, समग्र लागत, न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि (एमएमपी) तथा ईसीबी ढांचे के अन्य संबंधित मानदंडों को पूरा करता हो।

9.2 अपतटीय गैर-सुपुर्दगी योग्य (ऑफशोर नॉन-डिलिवरेबल) रुपया डेरिवेटिव बाज़ारों में बैंकों की भागीदारी

III.56 27 मार्च 2020 को भारत में स्थित उन बैंकों को भारत में अनिवासी व्यक्तियों को रुपये वाली, या अन्य किसी मुद्रा वाली, गैर-सुपुर्दगी योग्य विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं की पेशकश करने के लिए पात्र बना दिया गया है, जिनके पास विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-1 का लाइसेंस है और वे आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) को परिचालित कर रही हैं। इस प्रकार के बैंक भारत में स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से, अपने आईबीयू के माध्यम से अथवा अपनी विदेशी शाखाओं (भारत में कारोबार कर रहे विदेशी बैंकों के मामले में, मूल बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से) के माध्यम से ऐसे लेनदेन कर सकते हैं।

9.3 व्यापारिक दिशानिर्देशों की समीक्षा

III.57 23 जनवरी 2020 को रिज़र्व बैंक ने मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन (एमटीटी) संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया, जिससे एसबीएलसी/ बैंक गारंटी के बिना आयात अग्रिम की सीमा को 0.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया गया है। तृतीय पक्षीय भुगतान और आपूर्तिकर्ता/ क्रेता की साख पर ऋण हेतु दिये जाने वाले वचन-पत्र (एलओयू)/ चुकौती आश्वासन-पत्र (एलओसी) जारी करने पर रोक लगा दी गई है। असाधारण परिस्थितियों में एमटीटी के अप्राप्त निर्यात चरण और एजेंसी कमीशन के भुगतान की अनुमति दी गई।

9.4 एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) निपटान व्यवस्था में जापानी येन का समावेश

III.58 जापानी येन को एसीयू व्यवस्था के तहत निपटान मुद्रा के रूप में शामिल करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 में 04 मार्च 2020 को संशोधन किया गया।

9.5 विशेष अनिवासी रुपया खाते के दायरे में वृद्धि

III.59 भारत से बाहर के निवासियों द्वारा भारतीय रुपया उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2019 में विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते का दायरा बढ़ा दिया गया है। ईसीबी, व्यापार-ऋण, निर्यात और आयात इन्वाइसिंग और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से बाहर के कारोबार संबंधित लेनदेन सहित कई गतिविधियों को अब भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय रुपये में किया जा सकता है। जून 2020 में एसएनआरआर खातों के माध्यम से निवेश माध्यमों में निवेश की अनुमति भी दे दी गई ।

10. ऋण वितरण और वित्तीय समावेश

III.60 रिज़र्व बैंक ऐसी नीतियां विकसित करके वित्तीय समावेश में सक्रिय भूमिका निभा रहा है जो समाज के ऐसे कमजोर वर्गों को किफ़ायती बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं, जो अब तक औपचारिक वित्तीय सेवाओं के दायरे से बाहर थे। यह देखते हुए कि वित्तीय समावेश के प्रसार के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली साधन साबित हो सकती है, वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-25 तैयार की गई। इसके अलावा, वित्तीय समावेश हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2019-24 ने हितधारकों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं निर्धारित की, जो वित्तीय सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकती हैं।

10.1 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) दिशानिर्देश

III.61 पीएसएल दिशा-निर्देश, जिनकी एससीबी के लिए अंतिम बार समीक्षा अप्रैल 2015 में की गई थी, उन्हें रिज़र्व बैंक ने उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने और समावेशी विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से 4 सितंबर 2020 को संशोधित किया। ऋण की कमी वाले जिलों में ऋण पहुँच को अब उन निर्धारित जिलों में उच्च भारांक देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है जहाँ प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत कम है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत वित्तपोषित की जाने वाली कुछ नई श्रेणियों को लागू करने के

साथ-साथ कतिपय मौजूदा श्रेणियों के लक्ष्यों को भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों और कृषि ऋण की कतिपय श्रेणियों के लिए ऋण सीमा में वृद्धि की गई है।

10.2 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को बैंकों और एनबीएफसी द्वारा सह-उधार

III.62 रिज़र्व बैंक द्वारा 5 नवंबर 2020 को शुरू किया गया सह-उधार मॉडल (सीएलएम) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए सह-उत्पत्ति योजना का संशोधित स्वरूप है। सह-उत्पत्ति योजना में बैंकों और एनबीएफसी के बीच ऋण में संयुक्त योगदान के साथ-साथ जोखिम और प्रतिफल साझा करने की बात थी। पहले की योजना में जहाँ बैंकों को एनबीएफसी-एनडी-एसआई के साथ साझेदारी करने की अनुमति थी, संशोधित योजना एक पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के साथ सह-उधार की अनुमति देती है। एनबीएफसी को अपनी बहियों में यद्यपि वैयक्तिक ऋणों का न्यूनतम 20 प्रतिशत हिस्सा बनाए रखना होता है, पर संशोधित मॉडल में परिचालनगत स्तर अधिक लचीलेपन की अनुमति दी गई है। सीएलएम दिशानिर्देश बैंकों को निर्दिष्ट शर्तों का पालन करते हुए अपने हिस्से के ऋण के संबंध में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के दर्जे का दावा करने की अनुमति देते हैं। किफायती लागत पर अंतिम लाभार्थी को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों और एनबीएफसी को आवश्यक है कि वे सीएलएम में प्रवेश करने हेतु बोर्ड-अनुमोदित नीतियां तैयार करें और अनुमोदित नीतियों को अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करें।

10.3 एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार

III.63 13 अगस्त 2019 को रिज़र्व बैंक ने कतिपय शर्तों के अधीन कृषि और सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को आगे ऋण (ऑन लेंडिंग) प्रदान करने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी (सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (एमएफआई) के अलावा) को बैंक ऋण की प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में माना जाने की अनुमति दे दी । एनबीएफसी द्वारा स्वीकृत केवल नए ऋणों को बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा, कृषि के तहत मीयादी-ऋण घटक के लिए एनबीएफसी को प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख और एमएसई को प्रति उधारकर्ता ₹20 लाख तक आगे उधार देने की अनुमति दे दी गई। मार्च 2020 में समीक्षा के बाद इन दिशानिर्देशों को 31 मार्च 2021 तक लागू कर दिया गया और उसके बाद इनकी समीक्षा की जाएगी। आवास ऋण के लिए एचएफसी को आगे ऋण देने की सीमा को बढ़ाकर ₹20 लाख प्रति उधारकर्ता कर दिया गया, जबकि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए पहले यह सीमा ₹10 लाख थी।

10.4 यूसीबी के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार का लक्ष्य

III.64 13 मार्च 2020 को वित्तीय समावेश में यूसीबी की भूमिका को मजबूत बनाने हेतु यूसीबी के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण राशि (सीईओबीएसई), जो भी अधिक हो, का 75 प्रतिशत कर दिया गया। 31 मार्च 2024 तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मार्ग दिया गया है। 24 अप्रैल 2020 को रिज़र्व बैंक ने यह अधिदेश दिया कि यूसीबी 31 मार्च 2021 से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य प्राप्त करने में कमी के बराबर नाबार्ड के ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि और नाबार्ड/एनएचबी/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)/ सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) की अन्य निधियों में योगदान देंगी और इस प्रकार इस संबंध में एससीबी के लिए दिशा-निर्देशों के साथ सामंजस्य स्थापित किया ।

10.5 एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए मापदंड

III.65 1 जुलाई 2020 से भारत सरकार ने एमएसएमई के वर्गीकरण मापदंड में परिवर्तन किया। 2006 से केवल निवेश ही मापदंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब इसका मापदंड निवेश और टर्नओवर के मिश्रित मापदंडों पर आधारित होगा। बदले हुए मापदंड के अनुरूप, भारत सरकार ने सूक्ष्म उद्यमों को इस प्रकार परिभाषित किया है- वे उद्यम जहाँ संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश ₹1 करोड़ से अधिक नहीं है

और टर्नओवर ₹5 करोड़ से अधिक नहीं है। लघु उद्यमों के लिए इसी तरह का मापदंड है- ₹10 करोड़ तक का निवेश और ₹50 करोड़ तक का टर्नओवर जबकि मध्यम उद्यमों के लिए यह राशि क्रमशः ₹50 करोड़ और ₹250 करोड़ है।

10.6 एमएसएमई को दिए गए ऋणों की एकबारगी पुनर्रचना

III.66 एमएसएमई को दिए गए मौजूदा ऋण, जो 1 जनवरी 2019 को डिफ़ॉल्ट लेकिन 'मानक' स्थिति में थे, के आस्ति वर्गीकरण को बिना नीचे (डाउनग्रेड) किए उनकी एकबारगी पुनर्रचना की अनुमति दी गई। पुनर्रचना को 31 मार्च 2020 तक लागू किया जाना था। यह योजना उन एमएसएमई को उपलब्ध कराई गई थी जो बैंकों और एनबीएफसी से कुल उधार पर ₹25 करोड़ की उच्चतम सीमा रखने और पुनर्रचना पैकेज के कार्यान्वयन से पहले जीएसटी पंजीकृत होने जैसे मापदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त करती हैं। योजना के तहत पुनर्रचित खातों के लिए 5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधानीकरण विनिर्दिष्ट किया गया था।

III.67 तबसे योजना दो बार बढ़ाई गई है। नवीनतम पुनर्रचना उन एमएसएमई खातों के लिए लागू है जो 1 मार्च 2020 को डिफ़ॉल्ट लेकिन 'मानक' स्थिति में थे। पुनर्रचना को 31 मार्च 2021 तक लागू किया जाना है।

10.7 एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना

III.68 एससीबी हेतु भारत सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना 2018 की घोषणा 2 नवंबर 2018 को दो वित्तीय वर्षों यथा 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए की गई थी। बाद में योजना को 2020-21 तक बढ़ा दिया गया। इस योजना में पात्र एमएसएमई के लिए योजना की वैधता अवधि के दौरान उनके बकाया नए/वृद्धिशील अवधि ऋण/कार्यशील पूंजी पर प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की ब्याज राहत का प्रावधान है। इस योजना का दायरा ₹100 लाख तक की सीमा वाले सभी मीयादी ऋण/ कार्यशील पूंजी तक ही सीमित है। 3 मार्च 2020 से सरकार ने सहकारी बैंकों को इस योजना के तहत पात्र ऋणदात्री संस्था बना दिया। रिज़र्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2020 को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।

10.8 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत निर्यात का वर्गीकरण

III.69 निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने हेतु रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2019 को, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों के तहत पात्र होने के लिए स्वीकृत सीमा को ₹25 करोड़ से बढ़ाकर ₹40 करोड़ प्रति उधारकर्ता कर दिया। इसके अलावा, ₹100 करोड़ तक के कुल टर्नओवर वाली इकाइयों के मौजूदा मापदंड को हटा दिया गया।

10.9 निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी

III.70 भारत सरकार ने 2 नवंबर 2018 से एमएसएमई क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पोतलदान-उपरांत और पोतलदान-पूर्व निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी। यह योजना 31 मार्च 2020 तक वैध थी लेकिन 13 मई 2020 को इसे एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात 31 मार्च 2021 तक उसी दायरे (स्कोप) और कवरेज के साथ बढ़ा दिया गया।

10.10 द्वार पर (डोरस्टेप) बैंकिंग पर दिशानिर्देश

III.71 रिज़र्व बैंक ने 9 नवंबर 2017 को वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए द्वार पर (डोरस्टेप) बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुदेश जारी किए थे। इसकी प्रगति की समीक्षा करते हुए रिज़र्व बैंक ने कहा कि इस नीति में उल्लखित सेवाओं को या तो बैंकों द्वारा अभी तक नहीं उपलब्ध कराया गया है या फिर ये सेवाएँ चुनिंदा शाखाओं में ही प्रदान की जा रही हैं। नीति को और प्रभावी बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2020 को बैंकों को अखिल भारतीय आधार पर ये सेवाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैंकों को उन शाखाओं का स्वरूप निर्धारित करने के लिए एक बोर्ड अनुमोदित फ्रेमवर्क विकसित करना भी आवश्यक है जहाँ इन सेवाओं को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा और जहां इन्हें एक सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्रदान किया जाएगा। बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपनी वेबसाइट पर ऐसी सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली शाखाओं की सूची को नियमित रूप से अद्यतन करें और अपने जागरूकता अभियानों में ऐसी सेवाओं की उपलब्धता का प्रचार करें।

11. उपभोक्ता संरक्षण

III.72 कोविड -19 महामारी द्वारा भारतीय व्यवसायों और परिवारों को प्रभावित करना शुरू करने से पहले भी रिज़र्व बैंक की उपभोक्ता संरक्षण प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि डिजिटल लेनदेन सुरक्षित और कुशल हों, और देश के लोगों को प्रणाली पर भरोसा हो। ये अग्रसक्रिय नीतिगत उपाय-जिनमें धोखाधड़ी वाले डिजिटल लेनदेनों में ग्राहकों के दायित्व/देयता को सीमित करना, डिजिटलीकरण और डिजिटल लेनदेनों के लिए शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) एवं लोकपाल योजनाएँ शुरू करके शिकायत निवारण को मजबूत करना और जागरूकता प्रयासों के माध्यम से उपभोक्ता शिक्षा, विशेष रूप से डिजिटल बैंकिंग के बारे में, को बढ़ाना - उपयोगी साबित हुए क्योंकि लॉकडाउन डिजिटल लेनदेन पर अधिक निर्भरता वाली व इसके अधिक प्रसार वाली अवधि भी रही।

11.1 जमाराशि बीमा में बढ़ोतरी

III.73 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने भारत सरकार के अनुमोदन[6] से 4 फरवरी 2020 से बीमाकृत बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवर को पहले के ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया। बैंकों के विफल होने के मामले में जमा बीमा निधि (डीआईएफ) पर बीमा कवर में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए डीआईसीजीसी द्वारा रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से 1 अप्रैल 2020 से प्रीमियम को प्रति ₹100 की निर्धारणीय (एसेसेबल) जमाराशियों पर 10 पैसे से बढ़ाकर 12 पैसे प्रतिवर्ष कर दिया गया। इसके अलावा, एक आंतरिक समिति (अध्यक्ष: श्री वी.जी. वेंकट चलपथी) की सिफारिशों के आधार पर डीआईसीजीसी जोखिम आधारित प्रीमियम के कार्यान्वयन की परीक्षा भी कर रहा है।

11.2 भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड का विघटन

III.74 भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की स्थापना फरवरी 2006 में रिज़र्व बैंक द्वारा एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी ताकि बैंकों द्वारा ग्राहकों और एमएसई के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली आचार संहिता तैयार की जा सके। उपभोक्ता संरक्षण में वृद्धि हेतु रिज़र्व बैंक में उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक समर्पित विभाग की स्थापना, ग्राहक अधिकार-पत्र (सीओसीआर) के जारी होने और लोकपाल व्यवस्था को काफी मजबूत करने के बाद, बीसीएसबीआई को 2019 में विघटित करने का निर्णय लिया गया।

11.3 डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली

III.75 6 अगस्त 2020 को रिज़र्व बैंक ने सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी) को 1 जनवरी 2021 तक अपनी-अपनी भुगतान प्रणालियों में विफल लेनदेन से संबंधित विवादों और शिकायतों के लिए एक पारदर्शी, नियम-आधारित, प्रणाली-चालित, प्रयोक्ता-अनुकूल और निष्पक्ष ओडीआर प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया। भारत में भुगतान प्रणाली स्थापित करने या उसमें भाग लेने वाली किसी भी इकाई को अपना परिचालन शुरू करते समय ओडीआर प्रणाली उपलब्ध करानी होगी। प्राप्त अनुभव के आधार पर, विफल लेनदेन से संबंधित विवादों और शिकायतों को छोडकर अन्य विवादों और शिकायतों को कवर करने के लिए ओडीआर व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा।

11.4 गैर-बैंक पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों (नॉन-बैंक प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) जारीकर्ताओं के लिए आंतरिक लोकपाल योजना

III.76 आंतरिक लोकपाल (आईओ) योजना में इकाई या संस्था के भीतर शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए विनियमित इकाई के भीतर एक शीर्ष स्वतंत्र प्राधिकरण के गठन की परिकल्पना की गई है। अक्टूबर 2019 में, इस योजना को एक करोड़ से अधिक बकाया पूर्व-दत्त भुगतान लिखतों (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) (पीपीआई) वाले गैर-बैंक जारीकर्ताओं को कवर करने के लिए बढ़ाया गया। ग्राहक की वे शिकायतें जो

[5] केंद्रीय बजट भाषण 2020-21, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf. पर उपलब्ध

जारीकर्ता द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दी जाती हैं, उन्हें शिकायतकर्ताओं को सूचना देने से पहले अंतिम निर्णय के लिए आंतरिक लोकपाल के पास भेजा जाता है।

11.5 एनबीएफसी के लिए लोकपाल

III.77 एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना प्रारंभ में सभी एनबीएफसी-डी के लिए शुरू की गई थी। अप्रैल 2019 में, इस योजना को ₹100 करोड़ या अधिक के आस्ति आकार और ग्राहक इंटरफेस वाली एनबीएफसी-एनडी तक बढ़ाया गया।

11.6 विफल लेनदेनों के किए टर्न अराउंड टाइम का समंजन

III.78 बड़ी संख्या में ग्राहक शिकायतें असफल या 'विफल' (फेल्ड) लेनदेनों से उत्पन्न होती हैं और इसके कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ, संचार संपर्कों में व्यवधान, एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता और सेशन का टाइम-आउट होना शामिल है, जिनके लिए ग्राहक सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा, सुधारक प्रक्रिया और इन 'विफल' लेनदेनों के लिए ग्राहकों को क्षतिपूर्ति राशि एक समान नहीं थी।

III.79 तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2019 को ग्राहकों की शिकायतों के समाधान और विफल लेनदेनों हेतु क्षतिपूर्ति के लिए सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों में टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) पर एक फ्रेमवर्क की शुरुआत की। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों में त्वरित और दक्ष ग्राहक सेवा प्रदान करना है। फ्रेमवर्क के तहत, उपभोक्ता का विश्वास मजबूत करने और विफल लेनदेनों की प्रोसेसिंग को सुसंगत बनाने हेतु विफल लेनदेनों और क्षतिपूर्ति के लिए टीएटी को अंतिम रूप दिया गया।

11.7 शिकायतकर्ता की ऑनलाइन सहायता के लिए आईवीआरएस

III.80 2019-20 के दौरान, सीएमएस के तत्वावधान में इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) को वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ताओं के लिए सूचना के एक सदा-सुलभ स्रोत (ऑन-टैप सोर्स) के रूप में स्थापित किया गया। कोई भी व्यक्ति 14440 डायल करके, अन्य बातों के साथ-साथ, लोकपाल योजना; उपभोक्ता संरक्षण विनियमों, जैसे धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ग्राहक की सीमित देयता; और बुनियादी बचत बैंक जमा खातों जैसे विभिन्न विषयों पर प्राथमिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है।

12. भुगतान और निपटान प्रणाली

III.81 भुगतान और निपटान प्रणालियों में नए नवोन्मेषों में भारत अग्रणी रहा है, जिसके लिए रिज़र्व बैंक अनुकूल परिवेश बनाता रहा है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से भुगतान प्रणालियों ने सुनिश्चित किया है कि भुगतान लेनदेन तेज, सस्ते और अधिक सुविधाजनक हों। अब नई सेवाओं को जोड़ने और उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए मौजूदा सेवाओं की पहुंच और प्रसार बढ़ाने, लेनदेनों की लागत को युक्तिसंगत बनाने और ग्राहकों के हित की रक्षा करने पर ध्यान केन्द्रित है। इसके साथ-साथ, इन सेवाओं की बेलगाम बढ़ोतरी में शामिल जोखिमों के प्रति सचेत रहते हुए, रिज़र्व बैंक उन्हें प्रभावी ढंग से विनियमित करने में अग्रसक्रिय रहा है।

12.1 24x7x365 आधार पर एनईएफटी की उपलब्धता

III.82 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) एक खुदरा प्रणाली (रिटेल सिस्टम) है, जिसमें आधे घंटे के निपटान बैच होते हैं और यह अंतरित की जा सकने वाली राशि पर कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करती है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि एनईएफटी, जो पहले आधे-आधे घंटे के 23 बैचों में कार्य कर रही थी, उसे 16 दिसंबर 2019 से 24x7x365 आधार पर उपलब्ध करा दिया गया है। यह प्रणाली अब आधे-आधे घंटे के 48 बैचों में परिचालित होती है। दिन का पहले बैच 00:30 घंटे से शुरू होता है और दिन का अंतिम बैच 24:00 घंटे पर समाप्त होता है।

12.2 आरटीजीएस के परिचालन घंटों में वृद्धि

III.83 ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली में ग्राहक लेनदेन का समय बढ़ाया गया था और 6 अगस्त 2019 से आरटीजीएस प्रणाली को प्रातः 7:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक उपलब्ध कराया गया

था।। बाद में रिज़र्व बैंक द्वारा 14 दिसंबर, 2020 से आरटीजीएस प्रणाली सभी दिनों 24X7 आधार पर उपलब्ध करा दी गई है। आरटीजीएस प्रणाली की चौबीसों घंटों उपलब्धता, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों को विकसित करने और घरेलू कॉर्पोरेट और संस्थाओं को व्यापक भुगतान लचीलापन प्रदान करने के भारत के प्रयासों को आगे बढ़ाएगी।

12.3 आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली में प्रभारों से छूट

III.84 डिजिटल निधि संचलन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 01 जुलाई 2019 से आरटीजीएस प्रणाली का प्रयोग करके किए गए बाहरी लेनदेनों पर स्वयं द्वारा बैंकों से लिए जाने वाले प्रसंस्करण प्रभार (प्रोसेसिंग चार्जेज) और समय परिवर्ती प्रभार (टाइम वैरिइंग चार्जेज) तथा एनईएफटी प्रणाली में प्रोसेस किए गए लेनदेनों पर लिए जाने वाले प्रसंस्करण प्रभार को भी माफ कर दिया। बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने ग्राहकों को आगे इसका लाभ प्रदान करें ।

III.85 इसके अलावा, सदस्य बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे एनईएफटी प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन रूप से किए गए निधि अंतरणों (इंटरनेट बैंकिंग और/या बैंकों के मोबाइल ऐप्स के माध्यम से) पर अपने बचत बैंक खाताधारकों पर कोई शुल्क न लगाएं, जो 01 जनवरी 2020 से प्रभावी है।

12.4 चेक ट्रंकेशन प्रणाली के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम

III.86 पॉजिटिव पे प्रणाली की घोषणा, 25 सितंबर 2020 को की गई थी। इस व्यवस्था में ₹50,000 और उससे अधिक राशि वाले चेकों के प्रमुख विवरणों की पुनः पुष्टि करना शामिल होता है। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। पॉजिटिव पे प्रणाली जहाँ खाताधारक के लिए वैकल्पिक है, बैंक ₹5,00,000 और उससे अधिक की राशि वाले चेकों के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं।

12.5 केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए पीपीआई की शुरुआत

III.87 दिसंबर 2019 में, रिज़र्व बैंक ने छोटे मूल्य लेनदेनों को और आसान करने के उद्देश्य से एक नए प्रकार के सेमी-क्लोज्ड पीपीआई की शुरुआत की। ऐसे लिखतों (इन्सट्रूमेंट), जिन्हें केवल बैंक खाते और/या क्रेडिट कार्ड से लोड या पुनः लोड किया जा सकता है, का उपयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है न कि निधि अंतरण के लिए। पीपीआई की अन्य विशेषताओं में शामिल हैं- ग्राहक से न्यूनतम विवरण प्राप्त करने के बाद ही उन्हें जारी करना, किसी भी माह के दौरान लोड की गई राशि की सीमा और किसी भी समय बकाया राशि, और लिखत को बंद करने और धन को 'स्रोत में वापस' अंतरित करने का विकल्प।

12.6 बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों का प्रयोग करके नकदी का आहरण

III.88 पहले बैंकों को स्वयं द्वारा स्थापित पीओएस टर्मिनलों पर नकदी निकासी की सुविधा देने के लिए रिज़र्व बैंक से एकबारगी अनुमति प्राप्त करनी होती थी। 31 जनवरी 2020 को रिज़र्व बैंक ने इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया और बैंकों को अपने बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर पीओएस टर्मिनलों पर नकदी आहरण की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। नामित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ग्राहक द्वारा देय शुल्क, यदि कोई हो, के साथ-साथ इस सुविधा की उपलब्धता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होता है।

12.7 भुगतान प्रणाली का ऑन-टैप प्राधिकार

III.89 जोखिम की विविधता की दृष्टि से और भुगतान प्रणालियों में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 15 अक्टूबर 2019 को इच्छुक संस्थाओं को ऑन-टैप प्राधिकार प्रदान करने के निर्देश जारी किए। यह प्राधिकार प्रस्ताव के गुण, पूंजी और केवाईसी आवश्यकताओं और विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के बीच अंतरपरिचालनीयता जैसे मानदंडों के अधीन है। अब तक, पीपीआई का निर्गमन; भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट (बीबीपीओयू); ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम्स (टीआरईडीएस); और व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) को ऑन-टैप प्राधिकार ऑफर किया गया है।

12.8 भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ)

III.90 एसआरओ एक गैर-सरकारी संगठन है जो ग्राहक संरक्षण और नैतिक एवं पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य

से उद्योग में सदस्य संस्थाओं के संचालन से संबंधित नियमों और मानकों को निर्धारित और लागू करता है। 22 अक्टूबर 2020 को रिज़र्व बैंक ने उद्योग-व्यापी सुचारू परिचालन और इसकी परिवेश प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने हेतु पीएसओ के लिए एसआरओ को मान्यता देने हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क के तहत एसआरओ के लिए पात्रता मानदंड, प्रबंधन दिशानिर्देश, कार्य और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।

12.9 क्यूआर कोड प्रणाली को सुव्यवस्थित करना

III.91 22 अक्टूबर 2020 को रिज़र्व बैंक ने क्यूआर कोड के विश्लेषण पर समिति (अध्यक्ष: प्रो. दीपक फाटक) की सिफारिशों और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर भारत में दो अंतरपरिचालनीय क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड यानी यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर को जारी रखने का फैसला किया है। स्वामित्व क्यूआर कोड का प्रयोग करने वाले पीएसओ को 31 मार्च 2022 तक एक या एक से अधिक अंतरपरिचालनीय क्यूआर कोड में अंतरित करने के लिए सूचित किया गया, और किसी भी पीएसओ द्वारा नये स्वामित्व क्यूआर कोड शुरू करने पर रोक लगा दी गई।

12.10 ऑफलाइन खुदरा भुगतान के लिए प्रायोगिक योजना

III.92 6 अगस्त 2020 को रिज़र्व बैंक ने एक सीमित अवधि के लिए एक प्रायोगिक योजना संचालित करने की अनुमति दी है जिसके तहत अधिकृत पीएसओ 31 मार्च 2021 तक दूरस्थ या निकट से भुगतान के लिए कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों का प्रयोग करके ऑफ़लाइन भुगतान साधन प्रदान कर सकेंगे। ऐसी प्रणाली को औपचारिक रूप देने के संबंध में निर्णय, शर्तों को पूरा करने पर और प्राप्त अनुभव के आधार पर लिया जाएगा।

12.11 वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए विनियामक विनियामकीय सैंडबॉक्स

III.93 4 नवंबर, 2019 को रिज़र्व बैंक ने वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए विनियामकीय सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत पहला समूह शुरू करने की घोषणा की, जिसका विषय खुदरा भुगतान है। इससे डिजिटल भुगतान क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन मिलने और बैंकिंग सेवा से वंचित और बैंकिंग सेवा की अल्प उपलब्धता वाले जनसंख्या वर्ग को भुगतान सेवाएं प्राप्त होने की उम्मीद है। समूह के लिए कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें उत्पादों की एक श्रृंखला शामिल है, जैसे कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) का अभिनव प्रयोग, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) संरचना, पीपीआई के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान और आवाज का प्रयोग करके भुगतान को प्रभावी करने के लिए फीचर फोन और असंरचित अनुपूरक सेवा डेटा (यूएसएसडी) और मोबाइल नेटवर्क आरएस फ्रेमवर्क में पांच चरण की सैंडबॉक्स प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसमें प्रारंभिक स्क्रीनिंग, परीक्षण डिजाइन, एप्लीकेशन असेसमेंट, परीक्षण और मूल्यांकन शामिल हैं। चयनित 6 आवेदकों के उत्पादों का परीक्षण डिजाइन चरण पूरा हो चुका है और दो इकाइयों ने 16 नवंबर 2020 से अपने उत्पादों का परीक्षण शुरू कर दिया है। अन्य इकाइयों द्वारा शीघ्र ही परीक्षण चरण शुरू करने की उम्मीद है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने बाद में दूसरे समूह की घोषणा की। इसका विषय सीमा पार विप्रेषण है।

12.12 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण (एनईटीसी) प्रणाली

III.94 दिसंबर 2019 में रिज़र्व बैंक ने सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों और साधनों (गैर-बैंक पीपीआई, कार्ड और यूपीआई) को फास्टैग के साथ जोड़ने की अनुमति दी ताकि एनईटीसी प्रणाली के आधार को व्यापक बनाया जा सके और ग्राहकों को भुगतान विकल्पों का एक समूह प्रदान करके प्रणाली प्रतिभागियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपका ये निष्क्रिय टैग, प्री-पेड खाते से टोल प्लाजा को सीधे टोल किराए का भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी (आरएफ़आईटी) का उपयोग करता है, जिससे ईंधन और समय की बचत होती है। पार्किंग शुल्क का भुगतान करने और ईंधन भरने के लिए भी इन साधनों को सक्षम बनाया जा सकता है।

13. समग्र मूल्यांकन

III.95 2019-20 के दौरान, जहाँ बैंकिंग प्रणाली ने पुनर्पूंजीकरण और विलय के साथ सुदृढ़ता के स्पष्ट संकेत दिए, वहीं रिज़र्व बैंक का विनियामकीय ध्यान समाधान प्रक्रिया को मजबूत करने और वैश्विक मानदंडों के साथ मानकों को संरेखित करने पर था। कोविड-19 महामारी के कारण एक गंभीर और अभूतपूर्व समष्टि आर्थिक आघात को देखते हुए रिज़र्व बैंक के कदम वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने की तरफ बढ़े। आगे चलकर, महामारी से उत्पन्न तात्कालिक चिंताओं को कम करने और आर्थिक पुनरुद्धार में सहायता देने के लिए तीन उपायों यथा नीतिगत दर में कटौती एवं चलनिधि का डाला जाना; विनियामकीय ढील या सहिष्णुता; और अतिरिक्त प्रावधानों के साथ समयबद्ध समाधान का प्रयोग किया गया। एतदोपरांत, बैंकिंग क्षेत्र की सेहत में सुधार, महामारी पर शीघ्र नियंत्रण के साथ-साथ आर्थिक सुधार की गति और स्वरूप पर निर्भर है। विभिन्न छूटों को समय से वापस लेना, आस्ति गुणवत्ता का पारदर्शी प्रकटीकरण और पर्याप्त पूंजी का समावेश सुनिश्चित करना एक स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनौती है।

अनुलग्नक III.1: कोविड-19 के व्यवधानों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम

कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों का सामना करते हुए, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजारों और संस्थाओं के सामान्य कामकाज को समर्थ बनाने, बैंक ऋण प्रवाह को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने, मौद्रिक संचरण को सहायता प्रदान करने और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों और बाजारों में वित्तीय तनाव को कम करने और प्रणालीगत चलनिधि बढ़ाने के उद्देश्य से कई परंपरागत और अपरंपरागत नीतिगत उपायों के साथ तत्परतापूर्वक कार्य किया।

मौद्रिक और चलनिधि उपाय

- बैंकों की निधियों की लागत को कम करने और मौद्रिक संचरण को सुगम बनाने की दृष्टि से दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एलटीआरओ) के माध्यम से ₹1.25 लाख करोड़ का समावेश;
- 6 माह की दो अमेरिकी डालर/भारतीय रुपया बेच/खरीद स्वैप नीलामी के माध्यम से 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चलनिधि का प्रावधान;
- ऑटोमोबाइल, आवासीय योजनाओं (रेजीडेंशियल हाउसिंग) को खुदरा ऋण और एमएसएमई को ऋण के रूप में बैंकों द्वारा संवितरित वृद्धिशील ऋण के बराबर राशि के लिए जमा पर सीआरआर बनाए रखने से बैंकों को छूट;
- स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) के लिए उपलब्ध स्थायी चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) में ₹2,800 करोड़ से ₹10,000 करोड़ तक की अस्थायी बढ़ोत्तरी;
- नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 100 बीपीएस तक की कमी (निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत), जिससे बैंकिंग प्रणाली में प्राथमिक चलनिधि में लगभग ₹1.37 लाख करोड़ की वृद्धि हुई;
- न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष आवश्यकता को निर्धारित सीआरआर के 90 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया (25 सितंबर 2020 तक छूट की अनुमति);
- बैंकों की सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उधार लेने की सीमा को उनके सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के उपयोग द्वारा 2 प्रतिशत से बढ़ाकर एनडीटीएल का 3 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे बैंकिंग प्रणाली को संभावित रूप से ₹1.37 लाख करोड़ की अतिरिक्त चलनिधि मिलेगी;
- नाबार्ड; सिडबी; और एनएचबी को क्षेत्रगत ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पॉलिसी रेपो रेट पर कुल ₹60,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधाओं का प्रावधान; (सारणी III.ए); एक्जिम बैंक को अमेरिकी डालर स्वैप सुविधा का लाभ उठाने हेतु सक्षम बनाने के लिए 90 दिनों (एक वर्ष तक रोलओवर के साथ) की अवधि के लिए ₹15,000 करोड़ की ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराना;
- कॉर्पोरेट बांड, वाणिज्यिक पत्र, और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ1.0) और निवेश ग्रेड बांड, वाणिज्यिक पत्र और एनबीएफसी के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश के लिए टीएलटीआरओ 2.0 नीलामी के माध्यम से ₹1.12 लाख करोड़ का समावेश, जिसमें से उपयोग की गई कुल राशि का कम से 50 प्रतिशत लघु और मध्यम आकार की एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के लिए है;
- म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए ₹50,000 करोड़ की एक विशेष चलनिधि सुविधा की शुरुआत;
- मार्च में तीन ओएमओ खरीद नीलामी के माध्यम से ₹40,000 करोड़ की स्थायी चलनिधि और 2020-21 के दौरान अब तक (18 दिसंबर 2020 तक) ₹2.27 लाख करोड़ का अंतर्वेशन;

सारणी III ए: 4 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार संस्था-वार ऋण का उपयोग

(₹ करोड़ में)

संस्था, जिन्हें ऋण दिया गया	एआईआईएफआई द्वारा उपयोग की गई एसएलएफ	एआई एफआई द्वारा संवितरित ऋण
सहकारी बैंक	16,300	16,300
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6,700	6,700
सूक्ष्म वित्त संस्था	3,350	4,278
लघु वित्त बैंक	3,587	3,772
एमएसएमई	6,155	9,806
आवास वित्त कंपनियां	9,999	10,425
कुल	**46,091**	**51,281**

स्त्रोत: एनएचबी, नाबार्ड, सिडबी द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक रिपोर्ट

अनुलग्नक III.1: कोविड-19 के व्यवधानों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम *(जारी)*

- मीयादी प्रीमियम को कम करने के उद्देश्य से विशेष ओएमओ की ग्यारह नीलामियों, प्रत्येक ₹10,000 करोड़, का संचालन (18 दिसंबर 2020 तक);
- विशिष्ट क्षेत्रों में संस्थाओं द्वारा जारी कॉर्पोरेट बांड, वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश के लिए अस्थिर दर पर ₹1,00,000 करोड़ की कुल राशि का3 साल तक के सदा सुलभ (ऑन टैप) टीएलटीआरओ की घोषणा।

विनियामकीय उपाय

- 1 अप्रैल 2021 तक पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत की अंतिम शृंखला का स्थगन।
- निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के क्रियान्वयन को 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक छह माह के लिए और बाद में 1 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित करना।
- 1 मार्च 2020 को बकाया सभी मीयादी ऋणों के संबंध में किस्तों के भुगतान पर बिना आस्ति वर्गीकरण कम किए छह माह का अधिस्थगन।
- उधारदात्री संस्थाओं को 1 मार्च 2020 तक बकाया नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में ब्याज के भुगतान पर छह माह के स्थगन की अनुमति देने की मंजूरी। ऋणदात्री संस्थाओं को अपने विवेक पर स्थगन अवधि तक (31 अगस्त 2020 तक) कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर संचित ब्याज को निधिक ब्याज मीयादी ऋण में बदलने की अनुमति दी गई, जिसकी चुकौती 31 मार्च 2021 से पहले की जानी है।
- उधारदात्री संस्थाओं को 31 अगस्त 2020 तक कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन कम करके आहरण क्षमता की पुनर्गणना और 31 मार्च 2021 तक स्वीकृत सीमाओं की समीक्षा की अनुमति दी गई।
- मानक के रूप में वर्गीकृत सभी खातों के संबंध में ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा आस्थगन या स्थगन अवधि, जहां कहीं भी प्रदान की गई हो, को मीयादी ऋणों और नकदी ऋण/ ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में क्रमशः आस्ति वर्गीकरण और 'अनियमित' (आउट ऑफ़ ऑर्डर) स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से देय दिनों की संख्या से बाहर रखा जाएगा,
- उन उधारकर्ताओं के संबंध में जो 29 फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार डिफ़ॉल्ट श्रेणी में थे और जिन्होंने आस्थगन और इसके परिणामस्वरूप हुए आस्ति वर्गीकरण लाभ उठाया है, उधारदाताओं को कम से कम 10 प्रतिशत के प्रावधान रखने थे, उधारदाताओं को ऐसे खातों में वास्तविक गिरावट के लिए प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के संबंध में इन प्रावधानों को बाद में समायोजित करने की अनुमति दी गई।
- 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच की अवधि को 30 दिवसीय समीक्षा अवधि गणना या 7 जून 2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के विवेकसम्मत ढ़ांचे के तहत 180 दिन की समाधान अवधि से बाहर रखने की अनुमति दी गई, यदि समीक्षा/समाधानअवधि 1 मार्च 2020 को समाप्त नहीं हुई थी।
- बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे पूंजी संरक्षण के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के अपने लाभ से किसी लाभांश का भुगतान न करें।
- एससीबी के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की आवश्यकता को 100 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया जिसे धीरे-धीरे दो चरणों में पुराने स्तर पर लाया जाएगा - 1 अक्टूबर 2020 तक 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल 2021 तक 100 प्रतिशत।
- संबद्ध (कनेक्टेड) प्रतिपक्षकारों के समूह के लिए बैंक के एक्सपोजर की सीमा 30 जून 2021 तक बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गई थी।

अनुलग्नक III.1: कोविड-19 के व्यवधानों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम *(समाप्त)*

- रिज़र्व बैंक ने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एससीबी (अनुसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), एनबीएफसी (योजना के तहत पात्र एचएफसी सहित) और एआईएफआई) को आपातकालीन ऋण व्यवस्था गारंटी योजना के तहत गारंटी कवरेज की सीमा तक ऋण सुविधाओं पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार लागू करने की अनुमति दी है। यह योजना गारंटी राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटीकृत है और भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई बिना शर्त की और अपरिवर्तनीय गारंटी द्वारा समर्थित है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को स्वैच्छिक प्रतिधारण व्यवस्था (वीआरआर) के तहत आवंटित सीमाओं के 75 प्रतिशत तक निवेश के लिए अतिरिक्त तीन माह का समय दिया गया।
- गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सोने के गहनों और आभूषणों को गिरवी रखके उनके प्रति ऋण के लिए मूल्य की तुलना में अनुमत ऋण (एलटीवी) 31 मार्च 2021 तक 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया।
- वास्तविक क्षेत्र की गतिविधि को पुनर्जीवित करने के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के तहत विशेष विंडो दिए गए [बॉक्स III.1 देखें]।
- परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों (एचटीएम) की सीमा को पहले की सीमा 19.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक के लिए एनडीटीएल का 22 प्रतिशत कर दिया गया, जिसे बाद में 31 मार्च 2022 तक और बढ़ा दिया गया। केवल 1 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच अधिग्रहीत एसएलआर प्रतिभूतियां वर्धित सीमा में शामिल होने की पात्र हैं। यह सीमा जून 2022 को समाप्त तिमाही से शुरू होकर चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत तक बहाल की जाएगी।

पर्यवेक्षी उपाय

- कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कारोबारी प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) को अपनी परिचालन और कारोबारी निरंतरता योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया गया।
- साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रबंधन हेतु विशेष परामर्श जारी किए गए, जिसमें संवेदनशील डेटा, जैसे कि ग्राहकों का डेटा और भुगतान प्रणाली, को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- लेखा परीक्षा के दायरे और पर्यवेक्षी डेटा प्रस्तुत करने में राहत प्रदान करके अनुपालन भार को अल्प समय के लिए कम करना।
- सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं को उनके वित्तीय अनुमानों पर कोविड-19 के प्रभाव को मात्रात्मक रूप में लाने और आकलन करने के लिए दवाब परीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया ताकि तदनुसार उनकी पूंजी पर्याप्तता स्थिति को मजबूत किया जा सके।

ऋण वितरण और वित्तीय समावेश

- 31 जुलाई 2020 तक या को किए गए निर्यात के संबंध में भारत को हुए निर्यात के आगम की वसूली और प्रत्यावर्तन अवधि को नौ माह से बढ़ाकर 15 माह किया गया।
- भारत में 31 जुलाई 2020 को या उससे पहले किए गए सामान्य आयातों के संबंध में धन-प्रेषण को पूरा करने की समयावधि को छह माह से बढ़ाकर बारह माह कर दिया गया। ऐसे आयातों के लिए इन बारह माहों की गणना पोत-लदान की तारीख से की जाएगी।
- 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-उपरांत निर्यात ऋण की अधिकतम अनुमत अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 माह कर दिया।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित कृषि हेतु अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज अनुदान (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) को आस्थगन अवधि के दौरान 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया।